Debate in Parliament

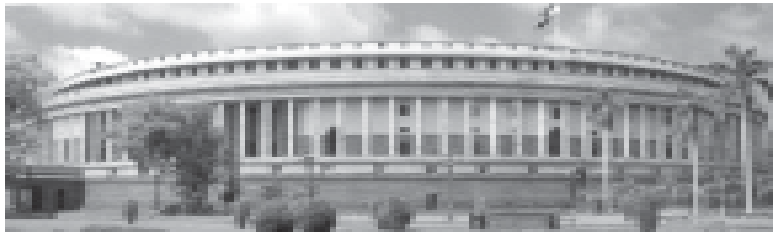

भोपाल गैस त्रासदी

BHOPAL GAS TRAGEDY

हादसा नहीं सामूहिक हत्या

- l"kek Lojkt
- jfo'kdj çlkn
- foØe oek
- dyk'k tk'kh
- çHkkr >k
- vtu flg

BHARATIYA JANATA PARTY

Foreword

The court verdict on 1984 Bhopal gas tragedy has shocked the nation. The revelations thereafter were much more shocking and deplorable. It is now an accepted fact that insensitivity of the Congress and its leaders knows no bounds. It is estimated that more than 20,000 people died and many times the number are still suffering disabilities of various kinds due the leak of poisonous gas from Union Carbide of India Limited (UCIL) factory in Bhopal in 1984. The people continue to suffer the after effect of the gas leak even today. Even in the wake of such a disaster the Congress government of the day allowed the chief culprit Warren Anderson, the CEO of UCIL to flee the country flouting the law of the land. What is even worst is that the government colluded with him in allowing him a safe passage.

The court verdict pronounced on the perpetrators of Bhopal Gas tragedy is further weakening the faith of people in the system. The cases related to the tragedy remained stuck in the cobweb of legal tangles for nearly 23 years and when the verdict came out it was nothing more than tokenism. Seven ex-employees, including the former chairman of UCIL, were convicted in Bhopal of causing death by negligence and sentenced to two years imprisonment and a fine of Rs. 1,00,000/- each, in addition to a fine of Rs. 5,00,000/- on the Union Carbide India Ltd. (UCIL). This was the punishment for the loss of more than 20,000 lives. While the CEO of UCIL, Warren Anderson was helped to flee the country by the government, no serious effort has been made to extradite him.

Bharatiya Janata Party raised the issue of Bhopal gas tragedy in the parliament seeking answers from the government on its various acts of omissions and commissions. In the Lok Sabha, Leader of Opposition Smt. Sushma Swaraj while raising the issue termed the tragedy not an accident but an act of mass murder while Shri Kailash Joshi held Congress responsible for letting Anderson flee the country. In Rajya Sabha, Shri Ravi Shankar Prasad, Shri Prabhat Jha and Shri Vikram Verma recounted the horrors of tragedy and sufferings of the people citing various acts of Congress government which resulted in one of the worst tragedies of the world. We are publishing the text of their speeches in the parliament for our readers. We are also publishing the speech of Shri Arjun Singh in Rajya Sabha. His speech which is seen as his answer to various charges against the then Congress headed by him has raised many questions again.

Publisher,
Bharatiya Janata Party
11, Ashoka Road, New Delhi

August 2010

लोकसभा

भोपाल गैस त्रासदी हादसा नहीं, सामूहिक हत्या

Jherh l"kek Lojkt

यह मौत भोपाल में उस दिन अचानक नहीं बरसी थी। यह मौत ऊपर से आकर टपक नहीं पड़ी थी। इस मौत ने दरवाजा खटका–खटका कर कहा था इस फैक्टरी वालों को, दस्तक देकर कहा था तीन साल तक कि तुम्हारे द्वार पर आकर खड़ी हूं, अगर मुझे लौटा सकते हो तो लौटा दो। अगर अंदर प्रवेश कर गई तो मैं हजारों को लील जाऊंगी। मौत घंटियां बजा–बजा कर सुना रही थी अपने आने की आवाज़, अपने आने की आहट।

उपाध्यक्ष महोदय, आज मैं अत्यंत वेदना के साथ इस दुखदायी प्रकरण पर चर्चा करने के लिए खड़ी हुई हूं। मेरी इच्छा थी कि यह चर्चा नियम 184 के तहत होती और उसके बाद सदन एक ठोस प्रस्ताव पारित करता, लेकिन मुझे बताया गया कि कार्य सलाहकार समिति में नियम 193 के तहत चर्चा कराने की सहमति बनी है। उस सहमति के चलते मैंने अपने नोटिस को परिवर्तित कर दिया और मैं नियम 193 के तहत चर्चा कर रही हूं।

महोदय, वर्ष 1984 के आखिरी तीन महीने हिंदुस्तान में तीन बड़ी त्रासदियों के लिए जाने जाते हैं। अक्टूबर की 31 तारीख को, मतलब महीने का आखिरी दिन, तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या हुई और उसके अगले दिन नवम्बर के पहले सप्ताह में हजारों हजार सिख भाइयों को सड़कों पर जिंदा जला दिया। इसके एक महीने बाद दिसम्बर की 2 तारीख और 3 तारीख की मध्य रात्रि को एक जहरीली गैस के रिसाव ने हजारों भोपालवासियों को मौत की नींद सुला दिया। ये तीन त्रासदियां तीन तरह के कारणों से हुईं। पहली त्रासदी विश्वासघात की पराकाष्ठा थी। दूसरी त्रासदी यानी सिखों का नरसंहार क्रूरता की पराकाष्ठा थी

और भोपाल में जहरीली गैस का रिसाव लापरवाही की पराकाष्ठा थी।

महोदय, अभी चंद दिनों पहले दिल्ली के जंतर–मंतर पर एक फोटो प्रदर्शनी इस हादसे की विभिषिका को दर्शाते हुए लगी थी। मैं स्वयं वहां गई थी। वहां रखी हुई तस्वीरें उस त्रासदी की व्यापकता भी बता रही थीं और उसकी भयावहता भी दिखा रही थीं। उन तस्वीरों ने 25 वर्ष बाद भी इस हादसे को जीवंत रूप में उजागर रख दिया था। मुझे नहीं मालूम कि हम में से कितने लोगों ने वह फोटो प्रदर्शनी देखी है, लेकिन वह फोटो प्रदर्शनी उस हादसे की एक जीवित कहानी कह रही थी, जो 25 साल पहले भोपाल में हुआ था। अभी पिछले दिनों टीवी पर एक कार्यक्रम भोपाल गैस त्रासदी का आ रहा था, जिसमें गैस पीड़ित अपना–अपना बयान दे रहे थे। मैं गृह मंत्री जी को कहना चाहूंगी कि उस कार्यक्रम में एक महिला बोल रही थी, जिसके दो वाक्य मुझे कभी नहीं भूलेंगे। उसने कहा था कि उस दिन भोपाल में इंसानियत और ममता दोनों मर गई थीं। लोगों को केवल स्वयं को बचाने की फिक्र थी। माँ बच्चों को छोड़ कर भाग रही थी और बच्चे बूढ़े माँ–बाप को छोड़ कर भाग रहे थे। दूसरा वाक्य उसने कहा कि उस दिन मौत बहुत सुखद लग रही थी। क्योंकि उस गैस के कारण फेफेड़ों और आंखों में जो जलन हो रही थी, उससे लोग बेतहाशा तड़प रहे थे। इसलिए सामने तड़पता हुआ कोई इन्सान जब मर जाता था तो मुंह से निकलता था –ईश्वर तुमने इसे मुक्ति दी। हाथ दुआ के लिए ऊपर उठते थे कि भगवान मुझे भी मुक्त करो, मुझे भी मौत दो।

उपाध्यक्ष जी, मैं आपसे कहना चाहती हूं कि यह मौत भोपाल में उस दिन अचानक नहीं बरसी थी। यह मौत ऊपर से आकर टपक नहीं पड़ी थी। इस मौत ने दरवाजा खटका–खटका कर कहा था इस फैक्टरी वालों को, दस्तक देकर कहा था तीन साल तक कि तुम्हारे द्वार पर आकर खड़ी हूं, अगर मुझे लौटा सकते हो तो लौटा दो। अगर अंदर प्रवेश कर गई तो मैं हजारों को लील जाऊंगी। मौत घंटियां बजा–बजा कर सुना रही थी अपने आने की आवाज़, अपने आने की आहट। लेकिन यह आवाज़ बस्ती वालों ने, यह आवाज़ श्रमिक सगंठनों ने सुनी, यह आवाज़ वहां के पत्रकारों ने सुनी और बार–बार वहां के सियासतदानों को सुनाने की कोशिश की, फैक्टरी के प्रशासकों को सुनाने की कोशिश की। लेकिन मुझे दुख से कहना पड़ता है कि प्रशासन ने केवल पैसे के लालच में और राजनेताओं ने सत्ता के मद में मौत की इस आवाज़ को अनसुना कर दिया।

मेरे पास जनसत्ता अखबार की एक प्रति है। इसमें काफी बड़ा लेख है। वहां के एक प्रतिष्ठित पत्रकार हैं, श्री राजकुमार केसवानी। यह अखबार 16 जून, 1984 का है। यह घटना दो और तीन दिसम्बर, 1984 की अर्धरात्रि की है। हिसाब लगाओ तो इस घटना से साढ़े पांच महीने पहले राजकुमार केसवानी ने यह लेख लिखा, जिसका शीर्षक है 'भोपाल ज्वालामुखी के मुहाने पर'। इतना बड़ा लेख मैं पढ क़र नहीं सुना सकती, लेकिन उसके कुछ प्रासंगिक अंश आपको सुनाना चाहूंगी। मैं इस पर गृह मंत्री जी और संसदीय कार्य मंत्री जी का ध्यान चाहूंगी।

उपाध्यक्ष जी, 1982 की एक घटना का जिक्र करते हुए राजकुमार केसवानी 16 जून, 1984 को जनसत्ता अखबार में लिखते हैं–

'कि 5 अक्तूबर, 1982 मंगलवार का वह दिन, जब रात के अंधेरों में घिरकर बुधवार की शक्ल में तब्दील हो रहा था, तभी एमआईसी प्लांट पर काम कर रहे ऑपरेटर वाडेकर द्वारा वॉल्व खुलते ही पाइप लाइनों को जोड़ने वाली सिरिंज एक धमाके के साथ फूट पड़ी और जहरीला मिथाइल लावे की तरह उबल पड़ा। प्लांट पर काम कर रहे मजदूर अपनी जान बचाने को बदहवासी में बाहर की तरफ भागने लगे और खतरे की सूचना देता अपशकुनी सायरन अपनी मनहूस आवाज़ में गूंज उठा। इस दुर्घटना में जहां प्लांट के चार लोग गम्भीर रूप से घायल हुए, वहीं दूसरी ओर भगदड़ के कारण कई लोगों को शारीरिक चोटें आईं और कुछ लोगों ने तो बिस्तर ही पकड़ लिया।'

आगे की लाइन भी सुनने वाली है।

'1983 का साल भी ऐसी ही दो घटनाओं का साक्षी होकर गुजर गया।

यह सन् 1982 की घटना बताई। आगे कहा –

'कि 1982 का साल भी ऐसी ही दो घटनाओं का साक्षी होकर गुजर गया। न मालूम यह 1984 का वर्ष क्या मंसूबे बांधकर आया है।'

यह 16 जून, 1984 को राजकुमार केसवानी ने लिखा कि पता नहीं 1984 का यह वर्ष क्या मंसूबे बांधकर आया है। इस वाक्य में उपाध्यक्ष जी आशंका भी है और भविष्यवाणी भी। इसलिए मैं आपसे कहना चाहती हूं कि इस तरह की घटनाएं जो इस प्लांट में पिछले तीन वर्षों से हो रही थीं, वे रोकी नहीं गईं। इसलिए यह एक औद्योगिक आपराधिक लापरवाही का मामला है। ऐसी लापरवाही जिसका इलाज हो जाता तो यह हादसा रुक सकता था। लेकिन पैसे बचाने के लालच में ये दुर्घटनाएं होने दी गईं और उन्हें सुधारा नहीं गया, उसका इलाज नहीं किया गया।

मैं इस फैक्टरी का थोड़ा सा इतिहास बताना चाहती हूं। उपाध्यक्ष जी, 1969 में यूनियन कार्बाइड कार्पोरेशन ने यूनियन कार्बाइड आफ इंडिया लिमिटेड का यह प्लांट भोपाल में लगाया। यह कीटनाशक दवाइयां बनाने का प्लांट था। इसमें एमआईसी गैस इस्तेमाल होती थी। लेकिन एमआईसी यहां बनती नहीं थी, उसका यहां उत्पादन नहीं होता था, उसका आयात अमरीका से किया जाता था। वर्ष 1970 में इस कंपनी ने एक आवेदन दिया कि हमें मिथाइल आइसोसाइनाइड इसी कंपनी में उत्पादन करने का लाइसेंस दिया जाए। माननीय गृह मंत्री जी, वर्ष 1970 का यह आवेदन पांच वर्ष तक पड़ा रहा, लेकिन वर्ष 1975 में, जब ऐसा रिज़ीम आया, जहां न अपील थी, न दलील, न वकील। जब भारत के लोगों के जनतांत्रिक अधिकार छीन लिये गये, जब देश में आपातकालीन स्थिति लागू थी, तब अक्टूबर 1975 में यह लाइसेंस इस कंपनी को दिया गया कि आप एमआईसी का उत्पादन यहां कर सकते हैं। मैं कहना चाहती हूं कि मृत्यु के तांडव ने पहला कदम भोपाल में उस दिन रख दिया था जिस दिन इस कंपनी को एमआईसी बनाने का लाइसेंस

केन्द्र सरकार द्वारा दे दिया गया था। एमआईसी की गैस साधारण गैस नहीं होती है, एमआईसी की गैस छोटी–मोटी जहरीली गैस भी नहीं होती है। उपाध्यक्ष जी, एमआईसी की गैस वह गैस है जो द्वितीय विश्वयुद्ध में इस्तेमाल हुई थी, यह वह गैस है जो हिटलर ने गैस–चैम्बरों में इस्तेमाल की थी, यह वह गैस है जो जिनेवा कंवैंशन से प्रतिबंधित थी। इस गैस को लगाने वाली फैक्ट्री के लिए कुछ सावधानियां बरतने के नियम हैं। इस तरह की फैक्ट्री नगर की सीमा से कम से कम 20–25 किलोमीटर बाहर लगनी चाहिए थी। लेकिन यह कंपनी जहां लगी वहां बहुत घनी आबादी थी, बड़ी–बड़ी कॉलोनियां इसके आस–पास बसी हुई थीं। इन सभी नियमों की अवेहलना की गयी। नियम यह है कि यह गैस बड़े–बड़े टैंकों में नहीं रखी जाती है, छोटे–छोटे टैंकों में रखी जाती है और वे छोटे टैंक भी आधे खाली रखे जाते हैं कि अगर कभी पानी उस टैंक में चला जाए और गैस उफनने लगे, तो वह जो आधा भरा हुआ टैंक है, वह गैस वहीं तक रह जाए, बाहर न छलके। उसके साथ खाली टैंक भी रखे जाते हैं। अगर गैस उफनने लगे तो गैस बराबर के टैंक में डाल दी जाए। वहां टैम्प्रेचर जीरो डिग्री से 15 डिग्री रखा जाता है। इस कंपनी की बनावट में इनमें से एक भी सावधानी नहीं बरती गयी और यह बात मैं नहीं कह रही हूं, जिस समय यह हादसा हो गया, तो बहुत सी जांच एजेंसियों को इस कंपनी में जांच के लिए भेजा गया। जांच के आधार पर सीबीआई ने एक चार्ज–शीट फाइल की है, वह चार्ज–शीट उस सीजीएम के आर्डर का हिस्सा है जो अभी 7 जून को उन्होंने फैसला दिया है। माननीय गृह मंत्री जी वकील हैं, मैं उस फैसले में वह हिस्सा पढक़र सुनाना चाहती हूं कि क्या–क्या लापरवाहियों का जिक्र चार्जशीट में किया गया।

Mr. Home Minister I would like to draw your attention to what the CGM says according to the charge sheet and I would quote:

"The procedure for storage of MIC has been given at page 7. MIC should be stored in underground tanks of stainless steel type 304 and 316 for safety reasons. The size of the tank should be kept twice to the volume required for storage. As an alternative an empty tank should be kept available at all the times.

Now, the CSIR Report reveals that the main cause for the incident were:

- The needless storage of large quantity of MIC in large tanks like tank number 610.
- Insufficient caution in design.
- Choice of material.
- Other alarming instruments.
- Inadequate control on system of storage

- and on quality of stored material and as well as necessary facilities for quick effective disposal of material which led to the incident." There is one more thing, Mr. Home Minister:

"More so on the date of incident, refrigeration system was not working. The flare tower was also out of order. VGS was incapable of neutralizing the large quantity of MIC. The MIC which is highly dangerous and toxic poison and stored in large quantity was an act of omission on the part of the accused person and no step was taken by the then authorities, namely, Shri Warren Anderson, the Chairman, Union Carbide Corporation, USA."

यह है वह लापरवाही मामला जो मैंने आपके सामने रखा है, जिस चार्जशीट के आधार पर उन्होंने कहा कि यह हादसा हुआ। इसीलिए मैंने कहा, यह मामला सामान्य दुर्घटना का नहीं है, यह मामला केवल एक्सीडेंट का नहीं है, यह मामला सामूहिक हत्या का मामला है। आप इंग्लिश लॉ को जानते जहां केवल आर्थिक लाभ उठाने के लिए, पैसे बचाने के लिए हिन्दुस्तान की जान को सस्ता समझते हुए यह हादसा होने दिया गया। यह हादसा हुआ नहीं, यह हादसा करवाया गया, लापरवाही के कारण करवाया गया। यह मेरा पहला आरोप है।

महोदय, उसके बाद शुरू होती है एक ऐसी दास्तान जिसे सुनकर आपके रोंगटे ख़ड़े हो जाएंगे। हजारों की संख्या में लोग मरे, जब लोग अपने रिश्तेदारों को दफनाने से, उनका दाह संस्कार करने से फुरसत पाए, तो शुरू हुई कानूनी लड़ाई। अनेक संगठन बने गैस पीड़ितों के, उन्होंने अलग–अलग जगहों पर अलग–अलग अदालतों में मुकदमे डाले, केसेज दर्ज हुए। जबलपुर, भोपाल, दिल्ली में केस डाले गए। तरह–तरह के केसेज अलग–अलग जगह पर चलने लगे, तो भारत सरकार को लगा कि इतने केसेज ये लोग अलग–अलग व्यक्तिगत तौर पर लड़ें, यह सही नहीं होगा। बेहतर होगा कि हम एक एक्ट बनाकर लड़ाई के सारे अधिकार खुद ले लें और इन सभी की तरफ से हम लड़ें। इस सोच के साथ एक एक्ट पारित हुआ– भोपाल गैस लीक डिजास्टर प्रोशेसिंग ऑफ क्लेम्स एक्ट, 1985। इस एक्ट को संसद ने सर्वसम्मति से पारित किया और सारे अधिकार केन्द्र सरकार ने ले लिए। इस एक्ट की धारा –3 कहती है : आप विधिवेत्ता हैं, जानते हैं कि जब किसी चीज पर एम्फेसाइज करना होता है, तो दसे दुबारा कहा जाता है।

यानी केन्द्र सरकार ने कहा कि सारे अधिकार हमें दे दो, कोई व्यक्ति नहीं लड़ सकता, हम यह लड़ाई लड़ेंगे, उस हर व्यक्ति की तरफ से जिसने कहीं भी मुकदमा डाल रखा है। लोगों को लगा कि इससे बड़ी सोच नहीं हो सकती, इससे बड़ी मदद भारत सरकार नहीं कर सकती है। अकेला आदमी एक बहुराष्ट्रीय कंपनी से कैसे लड़ेगा, उनके पास इतना पैसा, इतना बड़ा अमला, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है। लेकिन अगर भारत सरकार हमारी ओर से लड़ेगी, तो भारत सरकार के आगे वह

बहुराष्ट्रीय कंपनी छोटी पड़ जाएगी। भारत सरकार के हाथ इतने लंबे हैं कि वह हम सभी की ओर से उस कंपनी को दबोच लेगी और हमें न्याय दिलाएगी। भोपाल के गैस पीड़ितों ने भरोसा किया। गैस पीड़ितों ने अंत का विश्वास करके यह बिल पारित करवा दिया। पूरी संसद ने सर्वसम्मति से उन गैस पीड़ितों से लेकर सारे अधिकार भारत सरकार को दे दिये। लेकिन उसके बाद जो घटा है, उसे मैं आपको बताऊंगी तो आप हैरान रह जाएंगे। चार साल के बाद 1985 मे यह एक्ट आया। वर्ष 1989 में उस भारत सरकार ने जिस पर गैस पीड़ितों ने भरोसा किया था, जो दावा उन्होंने डाला था, वह दावा 1113 (19860, उस दावे में उन्होंने तीन बिलियन डॉलर यानी 3900 करोड़ रुपये के मुआवजे का दावा किया था। 1989 में भारत सरकार ने यूनियन कॉरबाइड कॉरपोरेशन से एक सुलहनामा किया, आउट ऑफ दि कोर्ट सैटिलमेंट किया। कोर्ट के अंदर मैरिट पर फैसला नहीं हुआ और आउट ऑफ दि कोर्ट भारत सरकार ने और यूनियन कॉरबाइड ऑफ इंडिया लिमिटेड के लोगों ने बैठकर एक सुलहनामा तय किया और 615 करोड़ रुपये में उनकी सारी देनदारियां खत्म कर दीं, उनकी सारी जिम्मेदारियां खत्म कर दीं। आप हैरान होंगे। मेरा खून खौलता है जिस समय मैं इस समझौते को पढती हूं। 14 फरवरी को यह समझौता हुआ। 15 फरवरी को ऑर्डर हुआ और उसके बाद एक टर्म ऑफ सैटिलमेंट बनीं। वे टर्म ऑफ सैटिलमेंट क्या हैं? वे अंग्रेजी में हैं, इसलिए पहले मैं अंग्रेजी में पढक़र बताती हूं और बाद में उसका हिन्दी शब्दार्थ बताऊंगी।

"This settlement shall finally dispose of all past, present and future claims, causes of action, civil and criminal proceedings of any nature whatsoever wherever pending by all Indian citizens and of public and private entities with respect to the past present and future dates, personal injuries, health effects, compensation, losses, damages and civil and criminal complaints of any nature whatsoever against the Union Carbide Corporation…."

'Union Carbide India Limited, Union Carbide Eastern and all of their subsidiaries and affiliates as well as each of their present and former Directors, officers, employees, agents, representatives, attorneys, advocates and solicitors arising out of, relating to or connected with the claims, causes of action and proceedings against each other. All such claims and causes of action whether within or outside India, all Indian citizens public or private entities are hereby extinguished including, without limitation, each of the claims filed or to be filed under the Bhopal Gas Leak Disaster registration and processing of claims 1985 and all such civil proceedings in India are hereby transferred to this court and are dismissed without preju-

dice and all such criminal proceedings including contempt proceedings stands quashed and accused deemed to be acquitted upon full payment and in accordance with the court's direction. The undertaking given by UCC pursuant to the order dated 30th November, 1986 in the district court of Bhopal stands discharged and all orders passed in suit no. 113 of 1986 and or any revision therefrom also stands discharged." उपाध्यक्ष महोदय, यह समझौता अंग्रेजी में था, इसलिए अंग्रेजी वालों को तो समझ में आ गया होगा। लेकिन मैं हिन्दी का शब्दार्थ इस सदन के माध्यम से देश को बताना चाहती हूं कि इसका क्या अर्थ है। इसका अर्थ यह है कि 615 करोड़ रुपये भारतीय सरकार को देकर यूनियन कार्बाइड के लोगों ने गैस पीड़ितों से कहा – ये पकड़ो 615 करोड़ और गायब हो जाओ। खबरदार अगर कल से दीखे, किसी कोर्ट, कचहरी, अदालत में मत दीखना। आज से हमारी भूत, भविष्य और वर्तमान की सारी देनदारियां खत्म, आज से हमारे खिलाफ चल रहे दीवानी और फौजदारी के सारे मुकदमे खारिज। आज से हम स्वतंत्र हैं। अब हमारे किसी भी वर्तमान या भावी कर्मचारी या अधिकारी के खिलाफ तुम कोई मुकदमा नहीं डाल सकते, तुम उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि तुम्हारे रहनुमाओं के साथ हमारा समझौता हो गया है।

उपाध्यक्ष जी, 615 करोड़ रुपये के दो ड्राफ्ट, जिनमें एक 420 मिलियम अमरीका डालर का और दूसरा 68 करोड़ भारतीय रुपये के दो ड्राफ्ट मेज पर पटकते हुए हमारी न्यायिक प्रक्रिया की खिल्ली उड़ाते हुए, अपनी ताकत पर इठलाते हुए और गैस पीड़ितों को ठेंगा दिखाते हुए यूनियन कार्बाइड के लोग बाहर निकल गये। बाहर गैस पीड़ित संगठन खड़े थे। गैस पीड़ित संगठनों ने नारे लगाने शुरू किये। मृतकों के परिजनों ने आंसू बहाने शुरू किए तो भारत सरकार के कुछ लोगों ने बाहर निकलकर समझाना शुरू किया, अरे अच्छा हुआ इतना मिल गया, पता नहीं आपको यह भी मिलता कि नहीं मिलता। जब वे लोग उन्हें यह समझा रहे थे तो उस समय मुझे एक शायर का शेर याद आ रहा था, जो मेरे मुंह से निकल रहा था –

'तू इधर उधर की न बात कर, यह बता कि कारवां क्यों लुटा,
हमें रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है।'

हम उनसे क्या शिकायत करें, वे तो व्यापारी थे, व्यापार करने और कमाने आये थे, वे हमें पैसा क्यों देते। लेकिन जिसे रहबर बनाया था, 1985 के एक्ट के तहत अपने हाथ काटकर जिसे सारे अधिकार दिये थे, जिसे अपना रहनुमा बनाकर बैठाया था, जिस पर विश्वास किया था, उस रहबर ने क्या किया। उस रहबर ने 3900 करोड़ का दावा 615 करोड़ में दीवानी और फौजदारी सारी देनदारियों से मुक्त करके उन्हें बरी कर दिया। शायद कुछ लोगों को यहां यह लगता हो कि 1989 में 615 करोड़ रुपये उस समय बहुत रहे होंगे। आप ऐसा क्यों कह रही हैं, यह तो बड़ा

अमाउंट था, लेकिन मैं बताना चाहती हूं कि यह बड़ा अमाउंट नहीं था। क्योंकि 615 करोड़ रुपये कितने लोगों में बंटने थे, यह आप जानते हैं। वहां 10 लाख लोगों का क्लेम था और साढ़े पांच लाख लोगों में यह 615 करोड़ रुपये बंटे। क्या आना था – दो–दो हजार, तीन–तीन हजार या पांच–पांच हजार रुपये। यह बात मैं नहीं कह रही हूं कि कितने क्लेम्स थे और कितने लोगों में यह पैसा बंटा।

उपाध्यक्ष महोदय, इसी सत्र में एक सवाल पूछा गया था। उस सवाल का जवाब 29 जुलाई को दिया गया। उस प्रश्न का नम्बर 70 था। सरकार से सवाल पूछा गया था कि कितने दावे थे, कितने लोगों का मुआवजा बंटा, यह आपकी सरकार का जवाब है।

"A total of 10,29,517 claim cases were filed and the Office of the Welfare Commissioner, after adjudication, awarded compensation in 5,74,376 cases."

5,74,376 लोगों के दावे वैध पाये गये। हो सकता है कि उनमें से बहुत से वैध दावे रह गये हों। लेकिन जिन्हें कल्याण आयुक्त, वैलफेयर कमिश्नर, भोपाल ने वैध पाया, उन दावों की संख्या 5,74,376 है। आप बताइये कि उनके लिए 615 करोड़ रुपये क्या थे। इसके बाद मुझे और दुख हुआ, जब मैंने उनसे पूछा तो किसी ने कहा 25–25 हजार की दो किस्तें मृतकों को मिली। कुछ लोगों को पांच हजार रुपया मिला, कुछ लोगों को दस हजार रुपया मिला क्योंकि 615 करोड़ रुपये में आप क्या बांटेंगे? रुपया कोई रबड़ तो नहीं है कि जिसे आप खींच लेंगे। मैं अब उसके बाद की बात करूंगी। वहां तो सरकार ने जो किया सो किया लेकिन जब बावेला मचा, सीजीएम का नया ऑर्डर आया, दुबारा से यह मामला चर्चा में आया, पत्र–पत्रिकाओं में इसके खिलाफ लिखा जाने लगा, टी.वी. पर कार्यक्रम आने लगे तो वर्तमान सरकार ने मंत्रियों का एक समूह बनाया। वर्तमान सरकार के जीओएम ने तय किया कि जो मृतक हैं, हम उन्हें दस लाख रुपया देंगे माइनस जितना उन्हें मिल चुका है। जो टोटली डिसेबल्ड हैं, उन्हें राशि देंगे। ऐसा करके उन्होंने एक निर्णय किया। उपाध्यक्ष महोदय, मुझे आपको बताते हुये दुख हो रहा है कि जिस सवाल में सरकार ने पहले पृष्ठ पर यह कहा कि 5,74,376 दावे वैध थे, उसी सवाल में एक अनुलग्नक, एक अनैक्सर लगाया क्योंकि उस सवाल का एक भाग यह भी था कि जीओएम बना है, उसकी सिफारिशें क्या हैं और उसने क्या तय किया ? सरकार ने जीओएम की सिफारिशें उसी सवाल संख्या 70 में लिखी हैं जिन्हें मैं पढक़र सुनाती हूं – "Compensation to the following categories of claims of victims and the families may be enhanced as under: Death - 5,295; permanent disability - 3,199; cancer cases about 2,000; total renal failure about 1,000; temporary disability - 33,672."

मैंने इस आंकड़े को जोड़ा है जो 45,166 बनता है। मैं गृह मंत्री जी से पूछना चाहती हूं कि आप उस जीओएम में थे। सवाल के भाग–एक में आप कहते हैं कि

गैस प्रभावित लोगों के 5,74,376 दावे वैध पाये गये और जब आपका जीओएम बैठता है तो वह 45,166 लोगों के लिये व्यवस्था करता है। अगर आप यह राशि 45,166 लोगों के लिये दे रहे हैं तो फिर वह राशि 5,74,376 लोगों में बंटेगी, फिर उनका वही हाल होगा कि किसी को हजार रुपया मिलेगा, किसी को दो हजार रुपया मिलेगा या किसी को तीन हजार रुपया मिलेगा। सरकार ने 5295 व्यक्ति डैड माने हैं लेकिन 15, 342 लोग मृत हैं। यह वैलफेयर कमिश्नर ने माना है। आप कहेंगे कि हमने आंकड़ा तो भोपाल से लिया है। जो 5,295 लोग हैं, वे तुरंत मर गये लेकिन जो अगले 2–3 दिनों में मर गये, जो लोग पैर पटकते–पटकते पांच दिन में बच गये, दस दिन बच गये, सालभर बच गये लेकिन उसी गैस के कारण मरे जिस गैस ने उन्हें प्रभावित कर दिया था। क्या आप उन्हें मृत लोगों की श्रेणी में नहीं मानेंगे? मेरे पास भोपाल का आंकड़ा है जहां उन्होंने कहा है – यहां भी 22 हजार मरे हुये लोगों के दावे आये थे लेकिन 15,342 लोगों को उन्होंने मृत पाया। मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि आज 25 वर्ष के बाद जब सावधान करने लगे हैं, अगर एक जीओएम बनाया है, आप वापस इस मामले को खोल रहे हैं तो कम से कम 5,74,376 तमाम लोगों के लिए प्रावधान करने का काम करें जिनके दावे वैध पाये गये हैं। जो दस लाख रुपये देने की बात है, वह कम से कम 5,295 से उठाकर 15,342 लोगों की बात करें जिन्हें वैलफेयर कमिश्नर ने मृत पाया है। यह मत करिये कि उस दिन कौन मरा था या 6 महीने बात कौन मरा था या एक साल के बाद कौन मरा था। अगर मृत्यु का कारण भोपाल गैस त्रासदी है तो आप उसके लिये व्यवस्था करे, यह मेरी मांग है। उपाध्यक्ष जी, अब मैं एक बात और कहना चाहती हूं। भारत सरकार यह पैसा अपनी तरफ से दे रही है। जीओएम में जो लिखा गया है कि एनहैंस्ड कम्पनसेशन भारत सरकार अपनी तरफ से दे रही है। मैं पूछना चाहती हूं कि क्या भारत सरकार पैसा उगाती है? मैं पूछना चाहती हूं क्या भारत सरकार पैसा उगाती है? क्या भारत सरकार के यहां पेड़ लगे हुए हैं, जहां पैसा लटकता है? भारत सरकार का पैसा भारत के करदाताओं का पैसा है। भारत सरकार का पैसा इंडियन टैक्स पेयर्स का पैसा है। इसलिए मैं आपसे मैं जानना चाहती हूं कि भारतीय मरें और भारतीय ही मुआवज़ा भरें और फिरंगी मौज करें, यह कहां का न्याय है? होना तो यह चाहिए कि यह पैसा हम उनके हलक से निकालकर लाएं। लेकिन आप यह नहीं कर रहे हैं, आप उन्हें वापस छूट दे रहे हैं, आप यह कह रहे हैं कि यह पैसा हम अपने खजाने से देंगे। लेकिन यह खजाना आपका कहां है? यह खजाना भारतीय जनता का है, भारत के लोगों का है। आप उन फिरंगियों को क्यों नहीं पकड़ते हैं, जो दोषी हैं, जो अपराधी हैं, जो अपराध करके चले गए, जिन्हें आपने 615 करोड़ रूपये में बरी कर दिया, उनका बाकी भुगतान आप करना चाह रहे हैं, लेकिन आप उनसे नहीं लेना चाह रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताना चाहती हूं कि उनके अपने यहां क्या स्थिति है? गृह मंत्री को भी यह मालूम होगा। यह अप्रैल का केस है, अमरीका में गल्फ

ऑफ मैक्सिको में एक घटना घटी, जिसमें ऑयल स्पिल हुआ। उसमें 11 और बाद में दो लोग मरे, यानी कुल 13 लोग मरे। अमरीकी प्रशासन ने ब्रिटिश पेट्रोलियम को बुलाकर कहा कि 90 हजार करोड़ रूपये मुआवजे के लिए एक तरफ रख दीजिए, क्योंकि इससे हमारा पर्यावरण खराब हुआ है। इन 11 लोगों को तो देंगे ही, हम अपना पर्यावरण भी सुरक्षित करेंगे। 90 हजार करोड़ रूपये जिस ब्रिटिश पेट्रोलियम कंपनी से एक तरफ रखवाया है, उसी अमरीका की कंपनी को आप 615 करोड़ रूपये... आप कहेंगे कि हम यह कैसे करें? मैं आपको रास्ता बताती हूं कि कैसे करें? गैस पीड़ित संगठनों ने आपके उस समझौते के बाद भी लड़ाई नहीं छोड़ी है। उन्होंने एक केस यूनाईटेड स्टेट्स में डाल रखा है, जो कि न्यूयार्क के साउथ कोर्ट में चल रहा है। वह केस पर्यावरण पर है। उनके यहां तो तेल छलका, हमारे यहां भोपाल की यह हालत हो गई, हमारे भोपाल के माननीय सांसद आपको बताएंगे। इस फैक्ट्री के पांच स्कवैयर किलोमीटर में पीने का पानी जहरीला हो गया है, न वहां ट्यूबवैल खुद सकता है, न हैण्डपम्प लग सकता है। वहां पानी नहीं आ सकता है। वहां का पानी जहरीला है, जिसे कोई नहीं पी सकता है। पानी के जहरीले होने के कारण आस–पास की जमीन बिकनी बंद हो गई है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं गृह मंत्री जी को बताना चाहती हूं कि 90 हजार करोड़ रूपये का जो मुकदमा डाला है, उसमें एक कारण यह बताया है कि हमारे टूरिस्ट कॉम्पलैक्सिज़ की बुकिंग कैंसिल करनी पड़ी, यानी उनके सैलानियों का सैर–सपाटा बंद हो जाए, इसके लिए 90 हजार करोड़ रूपये का मुआवजा मिलना चाहिए। उनके सैलानी सैर–सपाटे को नहीं आ सके। इसलिए 90 हजार करोड़ रूपये का मुआवजा मांगते हैं और हमारे यहां 15 हजार लोग मर गए, लाखों–लाख लोग घायल हो गए, लोगों की जिंदगियां बर्बाद हो गईं और हम यहां 615 करोड़ रूपये में छोड़ दें। यह मुकदमा वहां चल रहा है। पांच स्कवैयर किलोमीटर में पानी जहरीला है।

उपाध्यक्ष महोदय, केवल इतना ही नहीं है, हमारी तीसरी पीढ़ी अपाहिज़ हो रही है। मेरे पास प्रैस की कटिंग और एक पत्र है। हमारी एक कार्यकर्ता डॉ. फिरोज़ा बानो ने यह पत्र लिखा है और प्रैस की कटिंग के साथ भेजी है, जिसका शीर्षक है– गैस त्रासदी का दंश तीसरी पीढ़ी भुगत रही, अली ने गंवायी किडनी। यह दस वर्ष का बच्चा है। जिसमें लिखा सिंदी कालोनी निवासी ए.यू. खान और उनका परिवार 2 दिसम्बर, 1984 को यूनियन कार्बाइड से निकली गैस की चपेट में आया था। बच्चे के दादा ने बताया कि बच्चे की दोनों किडनियां खराब हो गई हैं। लेकिन बीएमएचआरसी अस्पताल में इलाज का कोई इंतजाम नहीं है। जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे इस बच्चे को मुंबई के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां दस लाख रूपये का एस्टीमेट दिया गया है। इसमें दस लाख रुपए का एस्टीमेट दिया गया है, लेकिन सरकार ने मुआवजे की केवल 25 हजार रुपए की राशि दी है। 615 करोड़ रुपए में से मात्र 25 हजार इस बच्चे को दिए गए, जिसके इलाज पर दस लाख रुपए खर्च होने हैं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहती हूं कि हमारी

तीसरी पीढ़ी दंश भुगत रही है। दस वर्ष के बच्चे की दोनों किडनी खराब हो गईं, पांच स्कवेयर किलोमीटर में पानी जहरीला हो गया है। जो केस युनाइटेड स्टेट्स कोर्ट में पड़ा है, उसमें आप पार्टी बनिए और ब्रिटिश पैट्रोलियम के केस का तर्क देते हुए अमेरिकन कम्पनी को जिसने खरीद लिया है, उस दाऊ केमिकल से हजारों–हजार करोड़ का मुआवजा लेकर आएं, जिससे पर्यावरण भी बचाएं और उन गैस पीड़ितों को मुआवजे की राशि भी दीजिए। उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं इस केस के जो दंड के प्रावधान हैं, उन पर आती हूं। कानूनी लड़ाई दो तरह की थी – एक मुआवजे और दूसरी दंड की थी कि दोषी लोगों को दंड दिया जाए। सीबीआई ने जो चार्जशीट फाइल की, उसमें पहला अभियुक्त वारन एंडरसन, युनियन कार्बाइड कार्पोरेशन का चेयरमैन है। चार्जशीट फाइल करने के बाद एफआईआर में इनका पहला नाम था। वारन एंडरसन भारत आए और भोपाल भी गए। शाम को उन्हें गिरफ्तार भी किया गया, लेकिन गिरफ्तार करने के चंद घंटे के बाद रिहा किया गया। उन्हें केवल रिहा ही नहीं किया गया, बल्कि वरिष्ठ अधिकारियों के साथ सरकारी विमान में बैठा कर दिल्ली लाया गया और फिर दिल्ली से अमेरिका वापस भेज दिया गया।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इनसे पूछना चाहती हूं कि यह काम किस के निर्देश पर किया गया था? पूरा देश इसका जवाब मांग रहा है कि यह काम किस के निर्देश पर किया गया था? सब मौन हैं, कांग्रेस की अध्यक्षा, प्रधानमंत्री जी और तत्कालीन मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री जी भी मौन हैं। इसलिए मैं कहना चाहती हूं कि हादसा वह था नहीं, जो घट गया, हादसा यह है कि सब चुपचाप हैं। मैं पूछना चाहती हूं कि यह निर्णय किस के निर्देश पर किया गया था? जीओएम ने दबी जुबान से कहा कि तत्कालीन प्रधानमंत्री जी को उसकी खबर एंडरसन के जाने के बाद मिली। इस असत्य का पर्दाफाश हिन्दू अखबार ने किया। मेरे पास हिन्दू अखबार की दो कतरनें हैं। मेरे पास 26 जून, 2010 का अखबार है, जिन्होंने यह कहा, जब आपने यह बोला कि तत्कालीन प्रधान मंत्री जी को उनके जाने के बाद खबर मिली थी। हिन्दू अखबार में लिखा है –

"As our front page story notes, the Group of Minister's conclusion that "contemporary media reports also indicate that the Prime Minister was briefed on the matter after Mr. Anderson left the country" is factually incorrect.

Assuming that G.K. Reddy's reports in The Hindu (especially the front page story of December 8, 1984) are part of the contemporary media reports:" referred to by the GoM, its conclusion is either a careless misreading of the reports, or, more likely, a clumsy attempt at a cover-up."

हिन्दू अखबार कह रहा है कि आप जो बात कह रहे हैं, या तो आपने उनकी

रिपोर्ट्स को जानबूझ कर सही से पढ़ा नहीं और या इसे कवरअप करने की, लीपापोती करने की कोशिश है। वह रिपोर्ट उन्होंने उस दिन दोबारा लिखी, 8 दिसम्बर, 1984 की वह रिपोर्ट, जो जी.के. रेड्डी ने हिन्दू में दी थी, उस रिपोर्ट को उन्होंने जस का तस 26 जून के अधिकार अखबार में दोबारा छाप दिया। उसे मैं पढ क़र बताती हूं, उसमें जी.के. रेड्डी ने लिखा था –

"The American Charge d'Affairs, Mr. Gordon Creeb called on the Foreign Secretary Mr. M.K. Rasgotra, to voice the US Government's concern over Mr. Anderson's arrest despite the assurances of safe passage given by the Government of India." इस रिपोर्ट को क्या मैं दुबारा पढ़ूं ? अमेरिकन चार्ज–डी–अफेयर्स गॉर्डन स्ट्रीब ने आकर श्री एम.के. रसगोत्रा के पास इस बात की शिकायत की थी कि भारत सरकार द्वारा यह आश्वासन दिए जाने के बाद कि एंडरसन को सेफ पैसेज दे दिया जाएगा, भोपाल में गिरफ्तार क्यों किया गया? इंडियन गवर्नमेंट किसे कहते हैं? बताइए नारायणसामी जी। प्रधान मंत्री कौन थे, यह भी आपको पता है।

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी.नारायणसामी): उपाध्यक्ष महोदय, मेहरबानी कर के सुनिए।

उपाध्यक्ष महोदय, नारायणसामी जी, मैं यह कह रही हूं कि जी.ओ.एम. ने कंटंप्रेरी मीडिया रिपोर्ट्स का ही जिक्र किया था। यह अलग कैसे है?

उपाध्यक्ष महोदय, 26 साल पहले की मीडिया रिपोर्ट है। नारायणसामी जी, 26 साल पहले की मीडिया रिपोर्ट्स का जिक्र करते हुए, उसकी ओट लेते हुए जी.ओ.एम. कहता है कि अगर उस समय तत्कालीन प्रधान मंत्री को पता होता, तो कम से कम मीडिया रिपोर्ट तो करता। कंटम्प्रेरी मीडिया रिपोर्ट भी यह कहती है कि उस समय के प्रधान मंत्री को बाद में खबर दी गई। इसलिए कंटम्प्रेरी मीडिया रिपोर्ट निकाल कर हिन्दू ने यह भी कहा कि आपने हमारी रिपोर्ट को जानबूझ कर गलत पढ़ा है या लीपा–पोती कर रहे हैं और उन्होंने 26 जून, 2010 को, अपनी 8 दिसम्बर, 1984 की खबर छापी। मैं वह पढक़र सुना रही हूं, जो उस समय 8 दिसम्बर को लिखा गया था।

उपाध्यक्ष जी, सरकार के साथ–साथ लोग कहते हैं कि एंडरसन को भगा दिया गया। मैं कहना चाहती हूं कि यह भगाई- का मामला नहीं है, बल्कि विदाई- का मामला है और शाही विदाई का, लेकिन इसके साथ–साथ इस संदर्भ में सी.बी.आई. की कार्य–शैली पर भी प्रश्न–चिह्न लगता है। मैं यहां गृह मंत्री जी से पूछना चाहती हूं कि एक कुख्यात आतंकवादी, घोर अपराधी, सोहराबुद्दीन के मामले में, सी.बी.आई. एक राज्य के गृह मंत्री को जेल में डालने का काम करती है, लेकिन 15 हजार लोगों के हत्यारे एंडरसन को देश से भगाने का काम यह सरकार करती है।

उपाध्यक्ष जी, मैं कोई गढक़र नहीं कह रही हूं। सरकारी आंकड़े कहते हैं कि सोराबुद्दीन टाडा कन्विक्ट था, जिसके घर से 28 ए.के.47 और 2 ए.के. 56 मिलीं।

उसके घर के पीछे कुआं बना था, जिसमें हथियारों का जमावड़ा था।

उपाध्यक्ष जी, मैं कतई विषयान्तर नहीं करूंगी। मैं अपने विषय की सीमा जानती हूं। उस विषय की परिधि में रहकर के बात करूंगी। हमने सी.बी.आई. के राजनैतिक दुरुपयोग पर अलग से चर्चा मांगी हुई है। हम ये सारे उदाहरण तब देंगे। मैं केवल एक तुलना कर रही हूं कि एक तरफ उसके लिए एक राज्य गृह मंत्री को आप जेल में डालते हैं और दूसरी तरफ आप एंडरसन को भगाते हैं, जो 15,000 लोगों का हत्यारा है।

और दूसरी तुलना मैं यह करना चाहती हूं कि एक तरफ एक व्यक्ति, जिसके घर में हथियारों का जमावड़ा, एक जखीरा मिलता है, जो टाडा का कन्विक्ट है, उसकी मौत के केस को तो सी.बी.आई. इतनी प्राथमिकता देती है कि एक–एक दिन के लिए अगर सम्मन की तामील न हो तो टी.वी. पर चलवाती है, लेकिन दूसरी तरफ एंडरसन के लिए 27 मार्च, 1992 को वारंट निकले, 22 जुलाई, 2009 को वारंट निकले, लेकिन आज तक सी.बी.आई. उन वारण्टों को तामील नहीं करा सकी है। इसके लिए मैं इस विषय को लाई हूं। मैं एकदम प्रासंगिक बोल रही हूं। मैं तुलना कर रही हूं। हमारे पास ऐसे सैंकड़ों उदाहरण हैं। वे उदाहरण हम देंगे, जब सी. बी.आई. की कार्यशैली पर चर्चा करेंगे तो हम वे उदाहरण देंगे।

आज ही समाचार पत्र में छपा है कि क्वात्रोची का केस बंद करने के लिए सीबीआई ने अर्जी दी है। मैं पूछना चाहती हूं कि कांग्रेस की सरकार को फिरंगियों से इतना मोह क्यों है? क्वात्रोची और एंडरसन, एंडरसन को भगा दो, क्वात्रोची को भगा दो और बाद में कहो कि हम उनको प्रोड्यूस नहीं कर सकते।

और बाद में कहो कि हम उनको कोर्ट में प्रोड्यूस नहीं कर सकते, इसलिए उन पर चार्ज नहीं लगा और केस बंद करवा दिया। मैं आपको बताना चाहती हूं कि वह घटना वर्ष 1984 की है। एंडरसन को बुलाने के लिए पहली बार लेटर रोगेटरी मई, 2003 में भेजा गया। तब एनडीए की सरकार थी। यह मैं खुद नहीं कह रही हूं। गृह मंत्री जी, यह जवाब भी इसी सदन में दिया गया। इसी सदन में जो जवाब दिया, उसको मैं पढक़र आपको बता रही हूं। प्रश्न संख्या 54 – जिसमें पूछा गया था, यह 28 जुलाई का है, 28 जुलाई को एक्स्ट्राडीशन आफ वारेन एंडरसन पर जवाब दिया गया। जवाब में उन्होंने कहा :

"In May 2003, it was decided to forward the request for the extradition of Warren Anderson on the basis of the available evidence." मई, 2003 में वारेन एंडरसन को एक्स्ट्राडीशन का रिक्वैस्ट लेटर भेजा गया। उसके बाद वर्ष 2004 में हम चले गए। तब से लेकर आज तक सीबीआई ने उसके प्रत्यर्पण के लिए क्या किया? मैं यह पूछना चाहती हूं। यह केवल वारेन एंडरसन का मामला नहीं है। यह दासता बहुत बेवफाइयों से भरी हुयी है, एक ही नहीं है। मैंने जिस समझौते का जिक्र किया...

वर्ष 1989 के जिस समझौते का जिक्र मैंने किया था, उस समझौते को भी गैस

पीड़ित संगठनों ने चुनौती दी। उन्होंने कहा कि हम इसको स्वीकार नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि हमको इसमें न्याय नहीं मिला, पर यह सच था। उन्हें न्याय नहीं मिला, लेकिन कुछ न्यायाधीशों को जरूर न्याय मिल गया। उस समझौते का आर्डर पास करने वाले एक जज को इंटरनेशनल कोर्ट आफ जस्टिस में नियुक्ति मिल गयी थी। एक जज को कई आयोगों का अध्यक्ष बनाते–बनाते राज्य सभा भी मिल गयी थी। बहुत लोगों को बहुत कुछ मिल गया था, अगर ठगे गए तो केवल गैस पीड़ित ठगे गए थे। लेकिन उन लोगों ने जब समझौते को चुनौती दी तो वर्ष 1991 में उन्हें आधा न्याय मिला। वर्ष 1991 में एक आर्डर पास करके जस्टिस वेंकटचलैय्या ने, यह भी पांच लोगों का कांस्टीच्यूशन बेंच था, लेकिन जजमेंट वेंकटचलैय्या का था, उन्होंने कहा कि जो दीवानी मामला मुवाअजे का है, उसको हम नहीं खत्म करेंगे, लेकिन जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स हमने क्वैश कर दी हैं, उनको हम खत्म करेंगे और हम चाहेंगे कि आप अगर फौजदारी मुकदमा चलाना चाहो, तो चला सकते हैं। उस आर्डर की चार लाइनें पढक़र मैं आपको सुनाना चाहती हूं।

"The contention that the Court had no jurisdiction to quash the criminal proceedings in exercise of power under Article 142 (1) is rejected. But, in the particular facts and circumstances, it is held that the quashing of the criminal proceedings was not justified. The criminal proceedings are, accordingly directed to be proceeded with." उन्हें आधा न्याय मिला। वे खुश हुए और उन्होंने फौजदारी मुकदमे दुबारा डाले। सभी अदालतों में चल रहे फौजदारी मुकदमे वापिस शुरू हो गए।...

वे जो फौजदारी मुकदमे शुरू हुए, लोग खुश हुए। उन्होंने कहा, हम दिवानी लड़ाई अमरीका की कोर्ट में लड़ रहे हैं, भारतीय कोर्टों में कम से कम फौजदारी मुकदमे जीतेंगे। लेकिन उसके बाद 1996 में फिर एक धोखा हुआ, फिर एक बेवफाई हुई। जो मुकदमे आईपीसी की धारा 304 (2) के नीचे चल रहे थे, जिसमें दस साल की सजा का प्रावधान था, उन्हें सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अहमदी ने 304 (2) से घटाकर 304 (ए) में कर दिए जिसमें केवल दो साल की सजा का प्रावधान था। उन्होंने क्या कहा, उसे मैं पढक़र बताना चाहती हूं।

It says:

"It is held that on the material laid by the prosecution, appropriate charges which are required to be framed against the accused concerned are under Section 304 (A) of the IPC. In the result of the appeals filed by the accused, charges framed against them under Section 304 Part II are quashed and set aside."

जस्टिस अहमदी को बीएमएचआरसी की लाइफ लॉग ट्रस्टिशिप मिली। दस साल की सजा का प्रावधान लेने वाली धारा हटाकर दो साल की सजा के प्रावधान में बदल दी गई। यह दूसरा धोखा था, दूसरी बेवफाई थी। जैसे मैंने आपसे कहा

कि यह दास्तान इतनी लम्बी है कि इसमें किस–किसने क्या खेल खेला है, वह मैं आपको बता नहीं सकती। लेकिन खेल अभी खत्म नहीं हुआ।

लोग जो कहते हैं कि सीजीएम ने दो साल की सजा दी। बड़े–बड़े अखबारों ने लिखा – "Justice is blind. After 25 years, only two years' punishment."

सीजीएम क्या करता? उसके हाथ बंधे थे। इस फैसले की नींव जस्टिस अहमदी ने उसी दिन डाल दी थी जिस दिन वह धारा बदलकर दो साल की सजा के प्रावधान में कर दी गई थी। सीजीएम दो साल से ज्यादा की सजा नहीं दे सकता था। उसने अधिकतम सजा सुना दी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ। एक जीओएम यहां बना, एक जीओएम मध्य प्रदेश में बना। यहां इन्होंने तय किया कि हम एक क्यूरेटिव पिटीशन डालेंगे। मध्य प्रदेश सरकार ने तय किया कि हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, भोपाल में एक पिटीशन डालेंगे। लेकिन मुझे दुख है कि मध्य प्रदेश सरकार जब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, भोपाल में पार्टी बनने गई, तो सीबीआई ने कहा कि आपको कोई लोकस ही नहीं है, मध्य प्रदेश सरकार पार्टी बन ही नहीं सकती। मुझे दुख है कि चीफ मिनिस्टर ने प्रधान मंत्री जी को चिट्ठी लिखी है, जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर हम पार्टी बन जाएंगे तो सीबीआई का क्या नुकसान होगा। सीबीआई के हाथ मजबूत ही होंगे। हम दोनों मिलकर गैस पीड़ितों की लड़ाई लड़ेंगे। जब तक यह सच नहीं है कि सीबीआई दोषियों को सजा नहीं दिलवाना चाहती, तब तक मध्य प्रदेश सरकार को पार्टी बनने से क्यों मना कर रही है। मैं गृह मंत्री जी से पूछना चाहती हूं कि चीफ मिनिस्टर ने प्रधान मंत्री जी को पत्र लिखा है और कहा है कि हमें पार्टी बनने दीजिए, लेकिन सीबीआई इंकार क्यों कर रही है, क्यों उनके लोकस को मना कर रही है? अगर मध्य प्रदेश सरकार वहां पार्टी बनेगी, तो केस मजबूत होगा। मैं कह रही हूं कि यहां से एक प्रस्ताव पारित होकर हम 1989 का समझौता रद्द करें जिसे मैं नियम 184 के तहत लाना चाहती थी। मैं गृह मंत्री जी से कहना चाहती हूं कि आपके जीओएम ने क्यूरेटिव पिटीशन डालने का तय किया है। अगर संसद वह प्रस्ताव पारित करेगी तो आपका केस बलवती होगा, आपके हाथ मजबूत होंगे कि भारतीय संसद ने एक साथ मिलकर उस समझौते को निरस्त कर दिया जिस समझौते ने गैस पीड़ितों के साथ धोखा किया। क्या ऐसा पहले कभी हुआ नहीं? सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों को यहां विधेयक पारित कर–करके निरस्त किया गया। यह आर्डर भी नहीं है, यह आउट ऑफ कोर्ट सैटलमैंट है और आउट ऑफ कोर्ट सैटलमैंट को आर्डर बनाकर दिया गया। आप क्यों मना करते हैं? अगर यह प्रस्ताव संसद पारित करेगी, तो क्यूरेटिव पेटीशन को बल मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश कहेंगे कि भारतीय संसद जो पूरे जन–मानस का प्रतिनिधित्व करती है, उसने इसे रिजैक्ट कर दिया, तो हम इसे क्यों बनाये रखें?

उपाध्यक्ष जी, इसके साथ एक और प्रश्न है, जो बहुत बड़ा है। वह यह है कि इस फैक्टरी में आज भी 20 हजार मीट्रिक टन रसायन बचा हुआ है। उस कचरे

का विनाश कैसे किया जाये, उसे नष्ट कैसे किया जाये, यह एक बड़ा यक्ष प्रश्न बना हुआ है। फैक्टरी वाले कहते हैं कि इसे प्रीतमपुर ले जाओ। प्रीतमपुर इंदौर के पास धार का एक इंडस्ट्रियल स्टेट है। वहां इस कचरे को लेकर नष्ट कर दो। वहां ले जाकर नाश करने का मतलब है कि एक और हादसे की नींव रखना। मैं पूछना चाहती हूं कि जब एमआईसी आयात करके अमेरिका से आती थी और जब यह रसायन भोपाल से बंद टैंकरों में प्रीतमपुर ले जाया जा सकता है, तो यह रसायन बंद टैंकरों में अमेरिका वापिस क्यों नहीं भेजा जा सकता? उनके यहां बड़े–बड़े अच्छे इनसिनरेटर्स हैं। हमारे यहां वे उपकरण नहीं हैं। उनके यहां हजारों–हजार, लाखों–लाखों मीट्रिक टन का नाश किया जाता है। हमारे यहां अगर थोड़ा सा रसायन भी विनाश से पहले एक और विनाश कर गया, तो एक और भोपाल घट जायेगा। इस पूरे कचरे के नाश के लिए हमें इसे वापिस अमेरिका भेजना चाहिए।

मैं अभिनंदन करती हूं कि जीओएम ने जो सिफारिशें की हैं, उन सिफारिशों से यह लगा है कि वर्तमान सरकार की आत्मा जाग रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कल एक केस में यह कहा, जिस अभियुक्त को दो साल की सजा मिली, वह जब सुप्रीम कोर्ट में सजा कम करवाने गया, तो सुप्रीम कोर्ट में एक न्यायाधीश ने कहा कि अब आप और 25 वर्ष लगाना चाहते हैं। 25 वर्ष बाद तो यह फैसला हुआ है। अब 15 साल हाई कोर्ट में लगेंगे और 10 साल यहां लगेंगे। लगता है कि सुप्रीम कोर्ट की भी आत्मा जाग रही है। मैं चाहती हूं, आज इस सदन से मांग करती हूं, हाथ जोड़कर करबद्ध प्रार्थना करती हूं कि सारा हाउस राजनीतिक दल की सीमाओं को लांघते हुए आज यह प्रस्ताव पारित करे कि वर्ष 1989 का समझौता रद्द किया जाये और एक नया समझौता किया जाये। जिस समझौते के माध्यम से गैस पीड़ितों को उचित मुआवजा मिले, दोषियों को पर्याप्त दंड मिले। इस कचरे को वापिस अमेरिका भेजा जाये।

गृह मंत्री जी, मैं आपसे दरख्वास्त करना चाहती हूं कि जो मुकदमा अमेरिका के न्यूयार्क के साउथ कोर्ट में चल रहा है, उसमें भारत सरकार पार्टी बने। मध्य प्रदेश सरकार को भी पार्टी बनने दे और हजारों–हजार, करोड़ों रुपये की मुआवजे की राशि, वे लोग जो हमारी न्यायिक प्रक्रिया की खिल्ली उड़ाते हुए गये हैं, जो हमें ठेंगा दिखाते हुए गये हैं, उन्हें ब्रिटिश पेट्रोलियम का केस सामने दिखाकर उनका नया अवतार जो डाऊ केमिकल है, उससे हजारों–हजार करोड़ों रुपये का मुआवजा आप अमेरिका से लेकर आइये। दोषियों को पर्याप्त दंड दिलाइये और यहां एक नये न्याय की नींव रखिये। बहुत–बहुत धन्यवाद।

■■

कांग्रेस ने यूनियन कार्बाइड से चुनावी चंदा लिया और एंडरसन को छोड़ा

Jh dyk'k tk'kh

माननीय सभापति महोदय, मैं भोपाल गैस त्रासदी का प्रत्यक्ष साक्षी रहा हूं और मेरे सामने ये सब घटनायें घटित हुई हैं।

सभापति महोदय, जिस जमीन पर यह कारखाना लगाया गया था. वह जमीन काज़ी परेड के नाम से जानी जाती थी जिस पर नवाब के जमाने में सेना की परेड हुआ करती थी। बाद में जब मास्टर प्लान बना तो उस भूमि को खाली छोड़ दिया गया था। उस जमीन पर कोई भी कारखाना लगाये जाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिये थी क्योंकि वह बस्ती से लगा हुआ स्थान था। लेकिन इस सब के बावजूद सरकार ने वहां कारखाना लगाने की अनुमति दी। सरकार को मालूम था कि उसमें एमआईसी सहित कई प्राणघातक रसायनों का प्रयोग किये जाने वाला है। वर्ष 1981 में एक बार ऐसी घटना घटी भी थी जब गैस का रिसाव हुआ और कुछ मजदूर मारे गये थे। उस समय सरकार ने इस ओर ध्यान नहीं दिया कि अब ऐसी घटना घटी है, भविष्य में इससे भंयकर घटना घट सकती है, इसलिये ऐसी कोई व्यवस्था की जाये। जैसा अभी बताया गया कि उस समय जो टीम उस घटना की जांच करने आयी थी। उस टीम ने मिलीभगत से बाद में यह रिपोर्ट दी कि ऐसी कोई खास बात नहीं है, यह साधारण बात है और इसमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए कोई भी कार्यवाही यूनियन कार्बाइड ने नहीं की, न ही राज्य सरकार ने उस पर कोई दबाव डाला। इसके परिणामस्वरूप यह घटना घटी थी। जब यह घटना घटी, तो इसमें हजारों लोग और पशु मारे गए और पक्षी जो आसमान में उड़ रहे थे, वे रास्तों पर टपक पड़े। 5 तारीख को घटना के दो दिन बाद मैं स्वयं उस इलाके में गया था। जिन लोगों की आंखों में जलन हो रही थी, वे घरों से निकलकर भागने लगे तो उनकी सड़कों पर ही मृत्यु हो गई और दो दिनों तक उनके शव सड़ाकों पर पड़े रहे। इसी प्रकार से गाय, भैंसें, कुत्ते और बिल्लियों के शव भी दो–तीन दिनों तक वहां पड़े रहे, उसके बाद ही उनके शवों को हटाया गया। इतनी बड़ी दुर्घटना के घटने का कारण यह था कि सरकार ने गलत जगह पर कारखाने को लगाने की अनुमति दी थी। जिस समय यह कार्यवाही चल रही थी,

उस समय आपातकाल लागू था और हम लोग जेल में बंद थे, हमें पता भी नहीं चला कि कब अनुमति दी गई। जब हम बीस महीने के बाद जेल से बाहर आए, तब कारखाने के नींव रखी जा चुकी थी। सभापति महोदय, इस घटना के बाद वहां के पुलिस प्रशासन को तत्काल कार्यवाही करने के लिए कहा गया। उन्होंने इसकी जांच शुरू की कि घटना क्यों घटी और इसके लिए क्या व्यवस्था होनी चाहिए? 6 तारीख से शहर की साफ–सफाई का काम शुरू हो गया। पुलिस ने भी अपना काम शुरू कर दिया। 6 दिसम्बर की रात को अचानक आदेश आ गया कि इसकी जांच सीबीआई को सौंप दी गई है और वह इस काम को करेगी। इससे पुलिस की भुमिका नगण्य हो गई। पुलिस ज्यादा कार्रवाई नहीं कर सकी क्योंकि जांच सीबीआई को सौंप दी गई थी। सीबीआई ने अपनी जांच में आठ के विरूद्ध प्रकरण बनाया और उन सभी को भी जमानत पर छोड़ दिया गया। हजारों लोग मारे गए, यह सीबीआई को मालूम था, किन्तु इसके बावजूद उन्हें जमानत पर छोड़ दिया गया। उन दिनों एंडरसन भी भोपाल में थे। यह पुलिस को मालूम था। लेकिन एंडरसन को जमानत पर छोड़ दिया गया। उस समय सीबीआई ने कुछ नहीं कहा। जब सीबीआई के अधिकारी से पूछा गया कि इन्हें क्यों छोड़ा गया है तो उन्होंने कहा कि हमने सभी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद ही छोड़ा है। न पुलिस को बताया गया, न कोर्ट को बताया गया और सभी को बाहर से ही बात करके छोड़ दिया गया। एंडरसन को तो उसके गेस्ट हाउस में ही जमानत देकर छोड़ दिया गया।

महोदय, वारण्ट जारी होने के बावजूद भी वारण्ट को तामील नहीं किया गया। अभी भी वहां की पुलिस वारण्ट तामील होने का रास्ता देख रही है। उसके खिलाफ अपराध दर्ज हैं। उसको कोर्ट में पेश किया जाना है। जब यह घटना घटी उसके तत्काल बाद मुख्यमंत्री ने एंडरसन और उसके सहयोगियों को गिरफ्तार करने का आदेश दिया। मध्य प्रदेश पुलिस यूनियन कार्बाइड के गेस्ट हाउस में एंडरसन को गिरफ्तार करने पहुंच गई। अरैस्ट करने की कार्रवाई चल ही रही थी कि मुख्यमंत्री का दूसरा निर्देश आ गया कि कोई कार्यवाही नहीं की जाए, उसे छोड़ दिया जाए और अधिकारी शासकीय विमान से उसे दिल्ली पहुंचा दें। इसके बाद वहां के कलैक्टर और एसपी के साथ उसे दिल्ली रवाना कर दिया गया और उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई।

सभापति जी, उस संस्था के जो आज अध्यक्ष हैं, उन्होंने इस घटना के घटने के बाद भी सार्वजनिक रूप से बोला है कि हमें यूनियन कार्बाइड से चुनाव के लिए पैसा मिला था। अब आपको किस बात का सुबूत चाहिए? उन्होंने इस बात को स्वीकार किया है। सभापति जी, मेरा यह आरोप भी है कि उस समय की कांग्रेस सरकार ने यूनियन कार्बाइड से चुनाव के लिए पैसा लिया है। और इस कारण उसे छोड़ा गया है। इसके प्रमाण हैं। सी.बी.आई. के रिटायर्ड अध्यक्ष ने भी बोला है कि यह सच है और किस व्यक्ति के थ्रू पैसा आया है, यह सबको मालूम है।

■■

Union Carbide was the illegitimate gift of Emergency : Ravi Shanker Prasad

BJP National General Secretary Shri Ravi Shanker Prasad MP participated in the debate on Bhopal Gas Tragedy in Rajya Sabha on August 11, 2010. Full text of his speech:

Mr. Deputy Chairman, Sir, I am extremely thankful that you have given me the opportunity to speak on an issue of such importance. It is now 26 years that the worst industrial disaster took place in Bhopal. Nearly, 20,000 people died. We can only say that, today, justice and accountability has been the real casualty. We are proud to be a democracy governed by rule of law, but it is a matter of shame that we have not been able to give justice to them nor substantial satisfactory rehabilitation. If the hon. Minister of State is here to listen to me, the first question I would like to know when I go forward, is: what is the exact number of dead? We understand that the registered dead are 15,274. But the NGOs have publicly stated that the real number of dead is 22,146. After how many years we are discussing Bhopal in Parliament, we also need to introspect. When I say so, I must salute the NGOs working in Bhopal with the victims who have really fought for them in a very powerful and committed manner, and they need our appreciation.

Sir, I was trying to go through the records, and, to my dismay, I learnt that this MIC plant, the lethal gas, was the illegitimate gift

of Emergency days. The Union Carbide had applied for licence in the year 1970. All the officials were opposed to it because the technology was obsolete. It was sought to be really foisted on India. They opposed for five years and knowing the whole, the Emergency came on 26th June, 1975 and they were given the licence on 31st October, 1975. Sir, the District Judge had noted that 'in spite of repeated requests, no proof was given for the safety standard in Bhopal, for the same standard as in the US companies of Union Carbide. Sir, there were warnings. In the year 1981, one worker, Mohd. Ashraf, had died. There was also an accident in January, 1982 in which 25 workers had suffered serious injury because of leakage of gas. Mr. Rajkumar Keswani, an eminent journalist, had written many articles in Jansatta. There were stark warnings, yet no action was taken. Sir, thereafter, disaster struck on 2nd and 3rd of December, 1984. We all know it. I come straightway to 7th of December, 1984 when a shameful incident happened.

Warren Anderson, the Chairman of Union Carbide, came to Bhopal and was arrested. Mr. Arjun Singh was the Chief Minister; he is a Member of this House. I have a copy of the statement issued by him which says 'that the Government is committed to apprehend the real guilty — and they are the guilty — and the Government will leave no stone unturned to fight on behalf of the people who have been the victims." Brave word indeed! And, thereafter what happened? Mr. Anderson was escorted by the DM and SP to the airport and was allowed to fly in a Government plane to Delhi and then to US. I have seen Mr. Anderson statement on television. 'Bail or no bail, house arrest or no arrest; I am going to go.' Mr. M.K. Rasgotra, the then Foreign Secretary, has confirmed publicly that 'he met me, he met the Home Minister, he met the then President.' Once this happened, I see another statement from the Government of Madhya Pradesh. I have also got a copy of that statement. 'He was not required for investigation.' What a surprise? About 20,000 people died, the Chairman is coming and in the space of three hours, the CM is changing his stand. We hear the Deputy Chief Commissioner, Mr. Grieve, saying that there was an agreement. Hon. Home Minister, I have got a copy of the Pittsburgh Press of the USA. Mr. Chidambaram, you can kindly have a look at it. I am really showing it; yes, with the permission of

the Chair. I am reading one line from this newspaper. A company statement, issued at its headquarter in Danbury, Connecticut, said 'the arrest violated an Indian Government promise to provide Anderson with safe passage.' This is the statement of 7th December, 1984 issued by Pittsburgh Press. Therefore, today, Sir, at least, now we would like to know in the Parliament as to who allowed Anderson to escape. It is a sensitive issue. Obviously, the pressure was there from some very top level. At least, we need clarity. Mr. Deputy Chairman, Sir, with your very wide experience, you are aware that if the nation cannot uphold the law, it cannot preserve the order and when Anderson was allowed to escape, the authority of the State surrendered before the accountability and the responsibility of the State.

Sir, there is an Act of 1985; I do not want to go into that. But I would certainly say one thing today. Why is it that when any accused is fair-skinned, the Government is not able to take a tough stand, be it Warren Anderson or Quattrochi? Here I would not say anything beyond that except that the might of law is there to bail them out repeatedly. That is what our experience has shown. Sir, I now come to the third issue, that of the flawed prosecution. As I said, the Government took upon itself the act. The Government filed a case in the District Court of New York. I would like to say this with a great degree of humility.

The hon. Home Minister has been a very eminent lawyer; the Leader of the Opposition, Shri Arun Jaitley, is a very eminent lawyer; my good friend, Mr. Ashwani Kumar, is a very eminent lawyer, and I am a small lawyer. What troubled me more is this. I have got with me a copy of the plaint which Government of India filed in New York and there they castigated the Indian judicial system and they said that Indian lawyers were not competent. I would like to read it because that is very, very important and, indeed, I regret to say, in a foreign court. I am reading, Sir, from the order of the court; "Rejected. Plaintiff: Government of India. Plaintiffs contend that the Indian legal system lacks the wherewithal to be allowed to deal effectively and expeditiously with issues raised in this lawsuit. Plaintiffs urge that Indian practitioners emphasized oral skill rather than written briefs. They lack specialization, practical investigating techniques and qualities of partnership". What was the need to

condemn Indian lawyers before the foreign courts in a plaint which you subsequently lost? Thereafter, they filed a suit at the District Court, Bhopal. Here I would like to highlight, with a great degree of pain, the shameful manner in which the entire proceedings were conducted. I have got a copy of the plaint. They said, 2660 people were killed and a claim was made of Rs.3900 crores; three billion dollars. The matter travels to the Supreme Court. I have got a copy of the Supreme Court judgement. There, the Attorney General of India says that we are willing to negotiate for a compromise for 500 million dollars.

How is it that 20,000 people die and when you make a claim for Rs.3900 crores, you negotiate a compromise through the Attorney General for merely 500 million dollars? And what the court gave was only 470 million dollars, that is, abound Rs.700 crores. The worst, Government of India agreed to quash all the criminal and civil prosecutions. I do not want to say who was in power when this order was passed; the world knows it. When the Opposition comes to power, Sir, the matter is reopened. The Supreme Court realizes its mistake and allows the prosecution to continue criminal case, but the civil liability case was not reopened. Thereafter, comes the judgement of Supreme Court of the year 1996. Sir, I am lawyer too and I have the highest regard for the Supreme Court. The Supreme Court has done great work in the field of human rights, upholding the Fundamental Rights and for the growth of our democracy. But the way in which the Supreme Court in 1996 quashed the charge of 304 (part 2), punishable for ten years through simple criminal negligence, I would say, Sir, is deeply regrettable.

The hon. Supreme Court handled the massacre of 20,000 innocent Indians,described by Justice Krishna Iyer as 'the assassination', as if it were a simple truck accident. What is further regrettable is, the then Chief Justice, Justice Ahmadi was a part of this Bench; there was an earlier order for construction of a hospital. He was further a part of a Bench which released the property confiscated by a Bhopal court. And he then passes an order thereafter — I am happy Mr. Arjun Singh is here; he would, at least clarify something — and after his retirement, he becomes the life Chairman and trustee of that hospital. Sir, I have the highest regard, but this conduct of Justice Ahmadi, I must say with full

sense of responsibility in this House, cannot be appreciated.

Sir, he was Chief Justice of India; I have to take his name. Sir, you know it better. To quote the former Chief Justice of India, J.S. Verma, his comment was, "His reasoning cannot be supported"; and Justice Sawant, publicly stated, "This taking over of the life chairmanship of that hospital certainly did not do any good to the image of judiciary". Those public comments by two eminent jurists have come to us.

Now, Sir, I come to the trial part. The trial commenced at Bhopal CJM Court. Apart from other witnesses, I would only name three crucial witnesses and those witnesses are T.R. Chauhan, who was the MIC Plant Operator, Mr. Kamal Parekh, Safety Officer and Umesh Nanda, who all confirmed that there was no safety standard. They all have said that an attempt was being made to dismantle this plant and take it to Indonesia.

Here, I would ask a question from CBI. Under a law if evidence has come of culpable homicide under Section 216 of the Cr.P.C., charge can be amended. When the evidence has come on record that the entire safety management was poor and deliberately steps were not taken, why didn't the CBI move the court for alteration of charge under Section 304A? Will the CBI be active only in the case of some politicians in Gujarat? There was a case of 20,000 innocent people losing their lives and no action was taken. We know of the double standards of CBI. In case of National Highways scam, officers had been arrested, but charge sheet was not filed because the investigation was going to senior people. We know of cases that the entire course of investigation is changed only because the political equation keeps on changing. But, at least, in this case when the CBI was handling a case of massacre of 20,000 people, we expected the CBI to be fair and reasonable. I regret to say that in spite of voluminous evidence on record in the last four or five years particularly against the Safety Officers of the Union Carbide and others, no action was taken. This is deeply regrettable, I would like to say very clearly and categorically. Sir, I got the judgment of the District Court and I would like to read this paragraph 192. It is very important and is a part of the court record. I quote, "In the present case, there is a chain of circumstances supported by expert witness and the evidence of the employees of the UCIL that prove

the negligent conduct of all the accused persons, who were working in different capacity at the relevant point of time and were able to avoid such type of incident by proper care and caution. However, they did not take any action and there is clear-cut omission on their part. They are also having good knowledge that if the shortcomings in the instruments are not rectified, such incident could happen at any time. Knowing all the things, they omitted to do what they were entrusted to do." If this is the finding of the court, then 304 Part II of the IPC is really made out. It was not made. It is a clear case of failure of CBI, and really the double standard of CBI is so evident in this about the casual and indifferent way in which they have dealt with the whole matter. Sir, I have to just make three or four quick points and questions to be asked from the hon. Minister. Hon. Home Minister, your GoM has come with a package of Rs.1500 crore. I understand that your Government is having a very good relationship with the USA. Recently, there was a case of BP Leak in the Gulf of Mexico. President Obama told the BP people come and pay, otherwise stop doing business there, and they paid 20 billion dollars for compensation and cleaning. How many people died? Just 11 people. Hon. Minister, here 20,000 people died, and if I believe the NGOs,22,000 plus people died. So many people became disabled. Even now we have studies that mothers' breasts are having lead and mercury for children. Therefore, the entire generations are going to be affected. Is your Government going to show the same degree of strength and courage of conviction in asking those people to pay, be accountable and be responsible. Sir, it is equally important for President Obama and the USA to understand that if the lives of 11 Americans is important, then the lives of 22,000 Indians is equally important. There has to be this clarity which I would like to emphasise with complete authority at my command. You have promised extradition of Anderson. It was only the Indian Government in May 2003 which sent the extradition request which was turned down in June 2004. Now when so many evidences have come, is the Government going to make a sincere effort? About two months ago, I was in the USA. I had an occasion to meet Mr. Frank Pallon, the House of Representatives Member from New York adjoining State New Jersey. He is a pro-India Leader. I saw his statement signed by many other Members of

Congress that the USA should not stand on prestige and Warren Anderson needs to be deported.

Is your Government going to take tough actions in that regard? This is the second question that I would like to ask. The third is: you have filed a curative petition. But, the name of Warren Anderson does not figure in the whole controversy in that petition at all also, which ought to have been mentioned in fairness to demonstrate the enormity of the suffering of the people. I would like to highlight this. I know it can be cryptic, but Mr. Chidambaram will very well know how he makes his case and how the cases are presented.

Lastly, I would like to know from the Minister what is the exact number of people who are dead, what is the exact number of people who are disabled, what is the exact number of people who are handicapped and what is the exact number of children who are suffering. It is very important, Sir. I will just conclude by saying that the quest for justice is not something which we owe for ourselves but also for posterity. That is a challenge which we need to face.

■■

यह तो राष्ट्रीय अपराध है

çHkkr >k

लोग कह रहे थे कि 1984 में सरकार अर्जुन सिंह जी की नहीं थी, कांग्रेस की नहीं थी, सरकार थी यूनियन कार्बाइड की। यूनियन कार्बाइड पूरी तरह से सरकार चला रहा था। कांग्रेस की बैठकें कहां होती थीं? यूनियन कार्बाइड के गेस्ट हाउस में होती थीं। यह पूरा घाल–मेल हो गया था, एक दूसरे के पूरक बन गए थे। यह सवाल था सीधे–सीधे कि लोग कहते थे कि वारेन एंडरसन सिर्फ उद्योगपति नहीं है, वह सिर्फ यूनियन कार्बाइड चलाने नहीं आया है, वह मध्य प्रदेश की सरकार और भारत की सरकार को चलाता है। ऐसा क्यों हुआ? इतनी घटनाएं होने के बाद भी क्यों नहीं पुलिस कार्रवाई की गई? आप कह रहे हैं कि गड़े मुर्दे मत उखाड़िए। कौन जिम्मेदार था?

आदरणीय उपसभाध्यक्ष महोदय, भोपाल गैस त्रासदी को लेकर लम्बी बहस चल रही है। जब मैं यहाँ बोलने के लए खड़ा हुआ हूँ और इस समय कोई भोपाल में त्रासदी भरे सभी वार्ड में जाकर पूछे कि कोई घटना हो रही है, तो 26 साल बाद भी वहाँ कोई घटना निश्चित हो रही होगी। अगर वहाँ कोई बच्चा जन्म ले रहा होगा, तो विकलांग पैदा हो रहा होगा, चर्म रोग से पीड़त हो रहा होगा, उसके फेफड़े में, उसकी किडनी में कोई– न–कोई बीमारी हो रही होगी और वैसा ही बच्चा पैदा हो रहा होगा। 26 साल बाद यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। यह कोई फिल्मी दुनिया का डायलॉग नहीं है। सत्यव्रत चतुर्वदी जी राष्ट्रीय भाव से बोल गए, महात्मा गाँधी की तरह पूरा प्रवचन दे गए कि किसी दोषी के बारे में बात नहीं करनी चाहिए, कुछ भी हुआ हो, अब हम सबको दूसरी बात करनी चाहिए। हम पूछना चाहते हैं कि क्या 5 लाख 74 हजार पीड़ितों की आवाज उठाना गलत है? हम पूछना चाहते हैं कि क्या यहाँ पर 15 हजार से अधिक लोगों की मौत के सवाल पर चर्चा् करना गुनाह

है? इस सदन का सौभाग्य है कि जिस गले के नीचे सच्चाई का राज छुपा हुआ है, वे माननीय अर्जुन सिंह जी सदन में मौजूद हैं। ऊपर बैठे हुए लोग और नीचे बैठे हुए सदन के लोग, सब माननीय अर्जुन सिंह जी को सुनना चाहते हैं। उन्होंने कहा था कि मैंने कुछ बातें किताब में लिखी हैं।

किताब में आपने लिखी होंगी, वह सब जारी होगी, तब होगी, माननीय अर्जुन सिंह जी, आज सब आपको सुनना चाहते हैं, क्योंकि आपसे बड़ा गवाह कोई नहीं। आप उस समय प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। आपने उस समय एक आयोग भी बनाया था। विक्रम जी ने बताया– एन.के. सिंह आयोग। इस आयोग की रिपोर्ट क्यों नहीं आई? समय से पहले उस रिपोर्ट को समाप्त क्यों कर दिया गया? उस रिपोर्ट को किसके कहने पर समाप्त किया गया? उस रिपोर्ट में कौन–कौन सी बातें थीं? उस रिपोर्ट की फाइलें मध्य प्रदेश सरकार के यहां से क्यों गायब हुई? केन्द्र में किसके पास आईं? आज यह सदन जानना चाहता है कि एन.के. सिंह आयोग की रिपोर्ट के सारे कागजात कहां गए?

इतनी ही बातें नहीं हैं। जब मैं खड़ा हुआ हूं, तो आपको बताना चाहता हूं कि एक नहीं, अनेक बातें यहां पर आती हैं। भोपाल गैस त्रासदी के बारे में हमने सीधे–सीधे कहना शुरू कर दिया कि यह क्या मामला है, बहुत दिनों का मामला है, न्याय चाहिए। आज तक भारत में ऐसी कोई घटना नहीं घटी, जिस पर विधायिका दांव पर लगी हो, जिस पर न्यायपालिका दांव पर लगी हो, जिस पर कार्यपालिका दांव पर लगी हो। मैं सी.जे.एम., भोपाल, मि. तिवारी, को बधाई देना चाहता हूं, जिन्होंने यह फैसला दिया। आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि 18 सी.जे.एम. बदल गए, फैसला नहीं आया। उन्होंने कहा कि मुझे फैसला देना ही पड़ेगा। उपसभापति महोदय, जो अभियुक्त बनाए गए हैं, वे अभियुक्त उसी दिन हाजिर हुए, जिस दिन फैसला हुआ था। इतना विरोध था कि लोग कह रहे थे कि 1984 में सरकार अर्जुन सिंह जी की नहीं थी, कांग्रेस की नहीं थी, सरकार थी यूनियन कार्बाइड की। यूनियन कार्बाइड पूरी तरह से सरकार चला रहा था। कांग्रेस की बैठकें कहां होती थीं? यूनियन कार्बाइड के गेस्ट हाउस में होती थीं। यह पूरा घाल–मेल हो गया था, एक दूसरे के पूरक बन गए थे। यह सवाल था सीधे–सीधे कि लोग कहते थे कि वारेन एंडरसन सिर्फ उद्योगपति नहीं है, वह सिर्फ यूनियन कार्बाइड चलाने नहीं आया है, वह मध्य प्रदेश की सरकार और भारत की सरकार को चलाता है। ऐसा क्यों हुआ? इतनी घटनाएं होने के बाद भी क्यों नहीं पुलिस कार्रवाई की गई? आप कह रहे हैं कि गड़े मुर्दे मत उखाड़िए। कौन जिम्मेदार था? जब यह पता चल जाएगा कि इस प्रदेश का मुख्यमंत्री, उसके इशारे पर, उसके इशारे पर सब कुछ हो सकता है और उसको वारेन एंडरसन चलाता है, तो लोग वारेन एंडरसन की बात मानेंगे कि उस प्रदेश की सरकार की बात मानेंगे। यहां सवाल यह है कि क्या कार्यपालिका अपराधियों को बचाएगी? क्या विधायिका यह सब करेगी? कलस्टर

और चीफ सेक्रेटरी तो सिर्फ मोहरे होते हैं। ये मोहरे किसके इशारे पर चल रहे थे?

कांग्रेस के एक महासचिव ने कहा कि अमेरिका का दबाव था। हम जानना चाहते हैं, सदन जानना चाहता है कि किसका दबाव था, किसने फोन किया था, किसके फोन पर वारेन एंडरसन को छोड़ा गया था? यह सदन जानना चाहता है, क्योंकि यह अपराध नहीं है, यह राष्ट्रीय अपराध है, 10–15 हजार लोगों की मौत का सवाल है। इसके अलावा भी, यह भारत के स्वाभिमान का सवाल है, भारत की साख का सवाल है, भारत की इज्जत का सवाल है। लोग कहते हैं कि भारत की कार्यपालिका ऐसी हो गई, भारत की न्यायपालिका ऐसी हो गई। मैं खबरपालिका को, मीडिया को बधाई देना चाहता हूं, जिसने 7 जून, 2010 के बाद खबरों की खुदाई करना शुरू कर दिया।

खबरों की खुदाई के बाद पता चला कि अर्जुन सिंह जी, आपने क्या–क्या किया और कौन–कौन सी फाइलें चलाईं। मैं व्यक्तिगत आरोप नहीं लगाना चाहता, लेकिन उस समय आप मुख्यमंत्री थे। यह सदन जानना चाहता है कि आखिर उस समय आप पर किसका दबाव था? अमरीका से किसका फोन आया था? 'Financial Times' के John Elliott के अनुसार Warren Anderson को रिहा किए जाने और भेजे जाने की सहमति तत्कालीन मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह को स्वर्गीय राजीव गांधी ने दी थी। आज आप उसका जवाब क्यों नहीं देते हैं? पूरा देश गुमराह हो रहा है।

हम लोग कभी लाशों पर राजनीति नहीं करते हैं, हमने ऐसी राजनीति कभी नहीं की। आप पढ़िए, 'The Asia Times' क्या लिखता है और 'The London Times' क्या लिखता है। सवाल यह है, भारत की इज्जत के साथ खिलवाड़ कौन करता है? आज भी अगर आप जंतर–मंतर पर जाइए तो कुछ बच्चे क्यों बिलबिलाते हैं, क्यों चिल्लाते हैं? वे न्याय मांगते हैं। क्या न्याय मांगना गुनाह है? मैं यहां अपनी बात नहीं देश की जनता की बात कह रहा हूं। ऐसी एक नहीं अनेक बातें हैं। दो बातें मैं यहां आपको बताना चाहता हूं और इस ओर पूरे सदन का ध्यान चाहता हूं। भोपाल गैस त्रासदी से बड़ी त्रासदी और क्या होगी, लेकिन यूनियन कार्बाइट कंपनी बिना लाइसेंस के चली।

माननीय उपसभापति महोदय, उनका लाइसेंस 30.09.1982 तक वैध था, जो उन्हें 24.03.1983 में दिया गया। सदन इस बात का उत्तर चाहता है कि छः महीने तक यूनियन कार्बाइट कंपनी बिना किसी लाइसेंस के कैसे चली? हम इस बात का जवाब चाहते हैं। बहुत सरलता से आप कह देते हैं कि एनडीए सरकार ने क्या किया, बीजेपी की सरकार ने क्या किया। हम सरकारों के मामले में नहीं बालेंगे। हम भी उतने ही संवेदनशील है, जितने संवेदनशील आप हैं। यह मसला राष्ट्रीय त्रासदी का है, हम नहीं चाहते कि इसे राजनैतिक त्रासदी बनाया जाए। आप यह बताइए कि Bhopal Gas Leak Disaster Act, 1985 किसने पास किया था? उसमें कहा गया है, ''भोपाल गैस त्रासदी से प्रभावित पेमेंट्स, जिसमें कि सरकार

भी सम्मिलित है, गैस पीड़ितों के सभी प्रकार के क्लेम्स तथा त्रासदी के दुष्प्रभावों के सभी प्रकार के निदान के लिए भारत सरकार को अधिकार दिए गए हैं। हम जानना चाहते हैं कि यह ऐक्ट किसने बनाया? 2003 में प्रत्यार्पण के लिए एप्लीकेशन किसने लगाई थी? एनडीए की सरकार ने लगाई थी। सवाल इन बातों का नहीं है। मैं एक और बात कहना चाहता हूं, आप फाइल में देखिए कि 1985 में मध्य प्रदेश की सरकार कैसे चलती थी। महोदय, इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण देकर मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। भारत सरकार के कैबिनेट सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी ऑफ मध्य प्रदेश को लिखते हैं कि आप हमारा जो राजनैतिक मसला देखते हैं, केन्द्रीय मंत्री मंडल का एक राजनैतिक मंडल है, जो पूरी सलाह देता है। वह सलाह क्या देता है? वह कहता है कि लिखित में कुछ मत भेजो, हम जो कह रहे हैं, वरबैटिम सुनते जाओ, एन.के. सिंह के कमिशन को समाप्त करो। उसके बाद कैबिनेट सेक्रेटरी एक शीट देते हैं, उस शीट पर सब कुछ लिख जाता है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पूछते हैं, क्या मैं साइन कर दूं, तो कहा जाता है, हां, कर दो। क्या भारत सरकार के कैबिनेट सेक्रेटरी उस समय मध्य प्रदेश की सरकार को अपने इशारों पर नहीं चला रहे थे? क्या अब मुख्यमंत्री की नोटशीट दिल्ली में बनेगी। सवाल इन मसलों का है और इसके बाद 56 वार्डों में 1984 की जो कराह है, वह आज 2010 की आज की तारीख तक यहां गूंज रही है।

हम राजनीति नहीं करते। अश्विनी जी यहां पर क्या कह रहे थे, उसे मैं पढ़ना नहीं चाहता। Bhopal Memorial Hospital में राज्य सरकार का कोई व्यक्ति नहीं है, लेकिन आपने वहां पर सब कुछ बना दिया। वहां पर टैस्ट होते हैं, लेकिन वहां की लेबोरेटरी से सारी चीजें गायब कर दी गई हैं। कैमिस्ट्री रसायन के जो आइसोटोप्स होते थे, वे नहीं हैं, अब आप कोई जांच नहीं कर सकते। आपने कहा कि कागज नहीं है। चीफ सेक्रेटरी, मध्य प्रदेश ने क्या–क्या लिखा, ब्रह्म स्वरूप जी ने क्या–क्या लिखा, वे कागजात मध्य प्रदेश सचिवालय में पड़े हुए हैं, हम आपको देने के लिए तैयार हैं। मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री चिट्ठी लिखते हैं, लेकिन उसका जवाब नहीं दिया जाता।

अंत में मैं अपनी बात को यह कहते हुए समाप्त करूंगा कि कार्यपालिका को, न्यायपालिका को, विधायिका को और खबरपालिका को, किसी को आप दांव पर मत लगाइए। भारत को लोकतंत्र इन्हीं चारों पर टिका हुआ है। अगर ये हिल जाएंगे, तो राष्ट्र में कुछ भी नहीं बचेगा। इस त्रासदी में पीड़ित लोगों को हम जितनी मदद कर सकते हैं, हमें करनी चाहिए और उनके मुआवजे को बढ़ाया जाना चाहिए, इतना कह कर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

■■

मानव निर्मित औद्योगिक आपदा

foØe oek

इसमें बार–बार यह बात आ रही है कि FIR में एंडरसन का नाम नहीं था। माननीय अर्जुन सिंह जी जानते हैं, वे यहां बैठे हुए हैं, यूनियन कार्बाइट का रेस्ट हाउस इनके मुख्य मंत्री आवास के थोड़े ही ऊपर था, वहां उसको ले जाकर रखा गया, तो फिर 20 हजार रूपए का मुचलका किस बात का लिया गया। वह वहां से बाहर भी नहीं गया, कोर्ट में भी नहीं गया, यानी court came to him.

महोदय, 26 साल के बाद आज हम फिर इस पर बहस कर रहे हैं। वह भी इसलिए कर रहे हैं, क्योंकि एक फैसला आ गया है। यदि भोपाल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का फैसला नहीं आता, तो शायद यह चर्चा अभी भी नहीं हो पाती। जिस समय यह कांड हुआ, उस समय माननीय श्री अर्जुन सिंह, जो कि यहां बैठे हुए हैं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और मैं भी मध्य प्रदेश के विधानसभा का सदस्य था। जब मैं 3 तारीख को उस मंजर को देखने पहुंचा, इसका यहां दोहराने की आवश्यकता नहीं है, वहां जो हालात थे और जो परिस्थिति थी, वह उस समय भी लोगों को मालूम था और आज भी मालूम है। यदि आप सड़कों पर देखते कि क्या स्थिति थी, जिसके चित्र अखबारों में देखें तो देख कर लगता है कि यह कितना बड़ा कांड था। जिसको एक बड़ा हत्या कांड कह सकते हैं। यह मानव निर्मित औद्योगिक कपेंजमत था, यह एक प्रकार की दुर्घटना थी, जिसमें लगभग 20 हजार लोगों की मौत हुई।

इसमें बार–बार यह बात आ रही है कि FIR में एंडरसन का नाम नहीं था। माननीय अर्जुन सिंह जी जानते हैं, वे यहां बैठे हुए हैं, यूनियन कार्बाइट का रेस्ट हाउस इनके मुख्य मंत्री आवास के थोड़े ही ऊपर था, वहां उसको ले जाकर रखा गया, तो फिर 20 हजार रूपए का मुचलका किस बात का लिया गया। वह वहां से बाहर भी नहीं गया, कोर्ट में भी नहीं गया, यानी court came to him. न्यायालय

वहां आया और वहां उनसे कागजों पर लिखा–पढ़ी करा ली और बात हो गई, लेकिन उसके साथ जो दो व्यक्ति arrest हुए थे, उन दानों को जमानत लेनी पड़ी। केशव महेन्द्रा और विजय गोखले आठ दिन तक हिरासत में रहे और बाद में हाईकोर्ट से इनकी जमानत हुई। लेकिन एंडरसन को रिहा किया गया। एक दिन पहले ही ये सारी रचनाएं हो चुकी थीं।

सर, मेरे पास उस समय यानी 26 साल पहले के अखबार ''राजस्थान पत्रिका'' है, उसमें ''यूनियन कार्बाइड के अध्यक्ष की गिरतारी चुनावी स्टंट, छः घंटे बाद रिहा'' heading के अंतर्गत ये सारी की सारी कहानी लिखी गई थी। 6 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी हरदा आए थे, माननीय अर्जुन सिंह जी भी हरदा गए थे, क्योंकि 6 तारीख के शाम को एंडरसन आ चुका था, वहीं पर बैठ कर यह निर्णय हुआ कि वह किस तरह भोपाल आएगा, क्या होना है, चुनाव में इसके क्या विपरीत असर पड़ेंगे और इसलिए गिरतारी की जानी चाहिए। लेकिन गिरतारी के बाद जो कुछ स्थिति बनी, वह अलग बात है। हो सकता है कि राजीव जी हरदा में convince हो गए होंगे, लेकिन दिल्ली आने के बाद जो परिस्थिति बनी, उकसे बाद जो निर्देश हुए, ये सारे उस समय के cabinet Secretary के statements में हैं, मैं इनको पढ़ना नहीं चाहता हूं। यह माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रवक्ता की तरह से प्रेस नोट जारी किया गया, उसके बाद जो प्रेस नोट जारी किए गए हैं, वे सारे इसमें उल्लेखित हैं। उसमें यह था कि भारत के Cabinet Secretary वहां के Chief Secretary के संपर्क में थे।

और चीफ सेक्रेटरी के निर्देश पर वहां के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने जाकर उनको छोड़ा। डिस्ट्रेट मोती सिंह जी, जब मैं Education Minister था, तब वे मेरे पास भ्पहीमत म्कनबंजपवद में कमिश्नर थे। अच्छे आदमी हैं, उन्होंने अभी इस फैसले के बाद सारे तथ्य सामने रखे हैं। इतने साल तक वे तथ्य किसी के सानमे नहीं आए थे, क्या था, क्यों छोड़ा, किस प्रकार से? अब इसको केवल दो ही व्यक्ति बता सकते हैं, भगवान या फिर माननीय अर्जुन सिंह जी, क्योंकि न राजीव गांधी जी हैं, न ब्रह्मस्वरूप जी हैं और न निर्देश देने वाले लोग हैं। अब वे सही चीज कब बताएंगे? उन्होंने कहा है कि समय आने पर बताऊंगा, मालूम नहीं, सही समय कब जाएगा? तो यह स्थिति है, खैर मैं उसमें नहीं जाता कि किसने भगाया, क्यों भगाया? लेकिन परिस्थिति यह है कि उसके बाद भी हम छल कर रहे हैं। अभी बार–बार बात आती रही कि बाद की सरकारों ने क्या किया? जब आपने दिसंबर, 85 में पार्लियामेंट में एक एक्ट पास किया, Bhopal Gas Leak Disaster Act, उसके बाद सारी पावर्स खत्म हो गई। फिर सीबीआई ने चालान पेश कर दिए और 96 में सुप्रीम कोर्ट कपतमबजपवद देता है कि फलां–फलां sections में यह मामला चलेगा। जब सुप्रीम कोर्ट sections फाइनल कर देता है, तो सवूमत बवनतज को तो उसी में मुकदमा चलाना है। जब उसमें मुकदमा चल रहा है, तो 2001 में कानून

मंत्री के सामने आप फाइल ले जाएंगे, एटॉर्नी जनरल के सामने फाइल ले जाएंगे, जिसके बारे में अभी कहा गया कि उनका opinion था, तो जिस केस में सुप्रीम कोर्ट ने मबजपवदे निर्धारित कर दिए, फ्रेम कर दिए, यह केस चल रहा है, यदि उस फाइल का आप दुनिया के किसी भी बड़े से बड़े वकील के पास ले जाएं, तो वह यही बोलेगा कि जो फाइल और जो sections हैं, इनके अंतर्गत यह मामला नहीं बनता है, तो बताइए यह क्या है? लेकिन जिनको जिम्मेदारी लेनी चाहिए, वे जिम्मेदारी लेने से भाग रहे हैं। बार–बार यह छलावा किया जा रहा है। आज इतने सालों के बाद भी भोपाल की जनता के साथ फिर छलावा किया जा रहा है, उनको बार–बार यह कहना पड़ रहा है।

सर, यह GoM वगैरह बेकार की बात है, जीओएम का कोई मतलब नहीं है। जीओएम ने क्या किया? आप जरा भोपाल की जनता से जाकर पूछिए, मध्य प्रदेश की जनता से पूछिए। आपके जीओएम पर वहां का एक भी नागरिक अगर ठप्पा लगा दे, तो मैं चुनौती देता हूं। इसमें आपने क्या किया कि जितने लोगों को मुआवजा मिल रहा था, उनको और cut कर दिया, केवल लिमिटेड लोगों को मुआवजा दिया जा रहा है। पहले ही भोपाल की जनता को छोड़ दिया, आपने तय कर लिया कि गैस केवल इस सीमा तक आई थी, इस सीमा तक नहीं आई थी, जबकि गैस पूरे भोपाल में फैली, भोपाल के आसपास फैली। आपने सीईओ और आसपास के इलाके को भी ब्लॉक कर दिया था, फिर आप कैसे कहते हैं कि पूरे भोपाल में गैस नहीं थी? इतने सालों तक वहां की राज्य सरकारें, वहां के मंत्री बोलते रहे, यहां आते रहे, सबको मालूम है कि उन्होंने बराबर केन्द्र में चाहा, लेकिन चूंकि यहां से तय हुआ कि केवल इतना ही मुआवजा मिलेगा और अब जिन लोगों को मिलता था, उसमें भी आपने लिमिट कर दिया और कह दिया कि केवल इतने लोगों को मिलेगा, बाकी के लोगों को नहीं मिलेगा और जिनको मिलेगा, उनको भी ंकरनेज किया जाएगा। किसी को यदि दो लाख रूपए मिल रहे हैं और यदि एक लाख पहले ही वह किसी रिलीफ के अंदर ले चुका है, तो उसका वह एक लाख रूपया उसमें ंकरनेज हो जाएगा। यह मजाक नहीं तो और क्या है? आप जख्मों पर नमक छिड़क रहे हैं। अब इस प्रकार की बातें करके वहां लोगों को भड़काने की बात कर रहे हैं, यह परिस्थिति आज वहां बन रही है। महोदय, मेरा कहना है कि ये सारी जो परिस्थितियां वहां बनती चली जा रही हैं, अब आप कहते हैं कि Anderson का direct involvement नहीं बनता, तो Anderson का involvement कैसे नहीं बनता है? ये सारे जो तथ्य हैं, 1981 से मैं विधान सभा का सदस्य था, 1981 में गैस लीक हुई, उसके 15 दिन बाद फिर 1981 में गैस लीक हुई, जिसमें 29 लोग प्रभावित हुए। वहां एक व्यक्ति, ऑपरेटर मोहम्मद अशरफ की मौत हुई। फिर 1983 में दुर्घटना हुई। तो 1980 के बाद से, एक के बाद एक दुर्घटना हो रही है। Anderson को भी मालूम था कि उसका जो कारखाना है, उसमें लीकेज है। उसमें ये–ये चीजें

बनती हैं, जिसके लीक होने से ये दुर्घटनाएं हो सकती हैं, सारी चीजों की जानकारी थी। जिस व्यक्ति को यह मालूम है कि मेरे खारखाने में यह–यह होता है और इसके लीक होने से दुर्घटना हो सकती है, आप कैसे कह रहे हैं कि उसका involvement नहीं होगा? आप खाली किसी एक मजदूर को पकड़ लेंगे कि इसका involvement है और इस प्रकार से उसका direct involvement बनता है। He was knowing everything about his plant. उसको मालूम था कि यह प्लांट कैसा है, इसमें क्या–क्या कमजोरियां हैं, इसकी जानकारी भी दी गई। जब उसको यह सब मालूम था और इसके बाद यदि यह सब होता है तो निश्चित रूप से Anderson भी इन सारे sections में मुजरिम बनता है और उसको उसी समय मुजरिम बनाया जाना चाहिए था, लेकिन उसको छोड़ा गया।

15 दिसम्बर को जब खत्म होना है, उस समय यहां से directions जाते हैं कि इस आयोग को अपने आप खत्म हो जाने दीजिए। तब शायद माननीय मोती लाल वोरा जी मुख्यमंत्री थे। उसको आगे न बढ़ाने का निर्देश लिखित में नहीं देंगे– हम आपको लिखित में नहीं देंगे, आप इस आयोग को अपने आप खत्म होने दें। उसमें सात प्वाइंट्स थे, लेकिन उन सभी बिन्दुओं में से एक पर भी चर्चा नहीं हुई। इस प्रकार एक के बाद एक षडयंत्र दिल्ली से बैठकर हुआ और भोपाल की जनता के साथ धोखा हुआ। महोदय, तीसरी एक और बात है जिसकी तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। वहां पर जो कचरा पड़ा हुआ है, वह मेरा विधान सभा क्षेत्र, पुराना विधाना सभा क्षेत्र है, जहां से मेरी श्रीमती अभी एमएलए हैं, पीतमपुरा, जो एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है, उस इंडस्ट्रियल एरिया में, पीतमपुरा में वहां का 32 मीट्रिक टन कचरा पहुंचाकर डम्प कर दिया, landfill कर दिया। उसके कारण इंदौर और आस–पास के सारे इलाके में पानी जहरीला हो रहा है। वहां पर लोगों ने आंदोलन किया। माननीय जयराम रमेश जी वहां पर गए। उन्होंने वहां पर स्वयं जाकर जनता से माफी मांगी, क्षमा मांगी। उन्होंने कहा कि मैं इस बात के लिए क्षमा मांगता हूं कि यहां कैसे आया। जनता के बीच में कान पकड़कर उन्होंने क्षमा मांगी, अखबार में फोटो छपा है, कहा कि यह गलती हुई है, यह यहां कैसे आ गया। केन्द्र सरकार को मालूम नहीं है, मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री जी को मालूम नहीं है। किस तरह से केन्द्र सरकार का पर्यावरण विभाग, जिनके हाथ में यह है, काम कर रहा है कि वहां से उठाकर 32 मीट्रिक टन आपने यहां डम्प कर दिया। लॉजिक यह लिया गया कि दो साइट्स तय हुई थीं, अंकलेश्वर और पीतमपुर। चूंकि उन्होंने इंकार कर दिया इसलिए इसे आप पीतमपुर में ले जाएं। आप कह रहे हैं कि हम तीन सौ करोड़ रूपए खर्च करेंगे और तीन सौ करोड़ रूपए हम आपको उसको खत्म करने के लिए देंगे। पीतमपुर अब एक इंडस्ट्रियल कॉरीडोर में जापान सरकार के सहयोग से दिल्ली टू मुम्बई में आ चुका है। यदि यह कचरा वहां पड़ा रहा तो उससे बड़ी दुर्गति होगी और बहुत बड़ा आंदोलन होगा। हमारा कहना है कि केन्द्र की

सरकार तीन सौ करोड़ रूपए क्यों खर्च करे? यह डाउ कैमिकल्स की जिम्मेदारी है। डाउ कैमिकल्स ने यूनियन कार्बाइड को खरीद लिया। सर, मैं आपको डाउ कैमिकल्स की स्थिति बताता हूं। अमेरिका के प्रतिभूति एवं विनिमय आयोग, यूएसएसईसी में डाउ कैमिकल्स को तीन कीटनाशकों के भारत में पंजीकरण जल्द करवाने में रिश्वत देने का दोषी पाया गया है। जो वहां पर प्रतिबंधित दवाईयां हैं, वे हैं– नूरेलडी, डुर्सबन 10 जी। ये दवाइयां वहां पर प्रतिबंधित हैं।

सर, मैं एक मिनट में खत्म कर रहा हूं। 2,400 करोड़ रूपए का बिजनेस हिन्दुस्तान में डाउ कैमिकल्स कर रहा है। आप डाउ कैमिकल्स पर दबाव बनाइए कि आपने इसे खरीदा है। क्योंकि यूनियन कार्बाइड हिन्दुस्तान में धंधा नहीं कर सकती, प्रतिबंधित हैं इसलिए उस कम्पनी को डाउ कैमिकल्स के नाम पर करके उसके माध्यम से सारा बिजनेस हो रहा है, अतः सारी responsibility डास कैमिकल्स की बनती है। केन्द्र की सरकार को उस पर दबाव बनाना चाहिए। केवल ळव्ड से काम नहीं चलेगा। जो भोपाल में पीतमपुर में 32 टन वहां का कचरा है, उसे वहां से उठाएं और कहीं बाहर ले जाएं। यह सब कुछ आपको करना पड़ेगा। मेरी आपसे डिमांड है कि स्थिति यह बननी चाहिए कि मुआवजे में जो वितरण में भेदभाव हो रहा है, वह न हो और सब लोगों को नए सिरे से मुआवजा दिया जाना चाहिए। कम से कम से भगाने में दोषी हैं, अपराधी हैं, उन्हें तो आप पउउमकपंजम दंडित करें और एंडरसन को लाने की बात करें तथा इस कचरे को वहां से बाहर ले जाने की बात करें, तभी जाकर हम भोपाल की जनता के साथ न्याय कर पाएंगे, यही मेरा आपके माध्यम से निवेदन है।

■■

"There have been persistent calls for granting bail to Mr. Anderson from Home Ministry officials in Delhi", says Arjun Singh

Congress MP and Former Madhya Pradesh Chief Minister Shri Arjun Singh spoke in Rajya Sabha on August 11, 2010 on Bhopal Tragedy that took place during his tenure.

I am very grateful, Mr. Deputy Chairman, for the concession given to me by the House. It is a matter of great anguish to recount the events two-and-a-half decades later and the experience that we have gone through is almost equal to coming out of the jaws of death. On that fateful night of 3rd December, 1984, as any other faithful citizen, I was also asleep. Around midnight I felt a very acrid smell in my nostrils, and I felt suffocated and got up. On enquiry, I was told that some poisonous gas had leaked from the Union Carbide and it was spreading. I don't have to inform the House that the wind does not know any direction nor does it follow anybody's dictates. Whichever side the wind went, the gas went. Those of us who are fortunate survived; those of us who are not fortunate did not survive. Many of us suffered the after-effects of that gas. It was not a simple tragedy that is being described here and much less is it amenable to exploitation.

I am thankful to all the hon. Members for the sentiments that they have expressed for those unfortunate brothers and sisters who did not survive. I don't want to lay the blame on any side, not in the hope of a bargain but in the consecrated fellowship which human beings shared in spite of other barriers. There was panic all around. People were running with whatever belongings they could grab on their heads, stumbling along dark streets.

Nobody could prevent them from going away. Children were the worst sufferers. That is a tragedy beyond description. Sir, I had the misfortune of looking into those empty eyes which once belonged to lively children, who were today not seeing anything. A suggestion came from some people that I should also leave the place; otherwise, I would also be in danger. I tried to reason with them that the Office of the Chief Minister does not carry the privilege of escaping from what the people are suffering. As you know, Sir, in our country, gossip has a stronger force then reason. These are realities which we cannot ignore. Therefore, when these kinds of allegations started being made by a handful of people, the only thing I thought best was to set up a Commission of Inquiry first against myself. And that is the genesis of the N.K. Singh Commission. My learned friend in the opposite, who just spoke, wanted to give the impression that I created something and then did not obey it. I never abolished the Commission. You might be aware, at least, statistically, that I ceased to be the Chief Minister of Madhya Pradesh on 13th March, 1985. My leadership, Shri Rajivji in particular, wanted me to go and serve in Punjab. I had taken the oath of the Office of the Chief Minister again, but in obeisance to my leader, the next day I went to Punjab. I am not trying to escape from anything. I am only narrating a fact which did come in the way. I wish I remained in Madhya Pradesh again as the Chief Minister and I would have seen that the likes of Mr. Anderson, who think that they are the inheritors of the colonial masters of this country, can strut about fearlessly after plundering our motherland, I would have taken it to its logical ends. But even while I was there, the first thing I thought essential to carry out was his arrest as and when he came If he had been arrested, most of the debate would have ended. At least, now, our Government is committed to extradite him and then fix the responsibility on him. How he is to be extradited, I can hardly give any opinion. People, who are responsible, know how it is to be done. I still wish that the first thing that the hon. Prime Minister would pose to the hon. President of the United States of America, when he comes here in November, is that we have an unspoken promise unfulfilled. Then, adequate and full compensation can be asked for. I just read in the newspapers that President Obama has already said, "Let somebody make a reference to us. Then, we

will see." Sir, on that night itself, I contacted the Office of the Prime Minister in Delhi and informed them of this calamity. Rajivji was away on tour. I then got in touch with Dr. S. Varadarajan, the Director-General of the Council of Scientific and Industrial Research, and informed him of this happening. I then requested him to send such help that could be of use to us. His reaction was very forthright. By next morning, his team arrived in Bhopal. By that time, the panic had slightly subsided and toxic gas became lesser and lesser deadly. Still, on the first count, it was observed in the morning that nearly 700 people, including children, had been killed. The tragic scenes, that I faced, as I went from hospital to hospital, and then to the affected areas, are indescribable. Houses were left empty; doors and windows were fluttering in the wind; no one to protect whatever was left inside. My first duty, as the Chief Minister, was to see that whatever was left was protected and the citizens did not suffer with losses. By the afternoon, I got a message that the Prime Minister, Shri Rajiv Gandhi, was coming to Bhopal, cutting short his General Election tour. Rajivji arrived at 4.00 p.m. on 4th December. He was in a very grave mood. I briefed him with all the details in my possession, and in the end, also added that even though I was not, personally, responsible for that accident, I was prepared to step down from my office, if he so desired. Rajivji said, "All this is not called for. Nobody is blaming you. So, why should you do that?"

By that time, my well-wishers became active and manufactured all the stories that we are hearing today. The only thing in Rajivji's mind was, how we can provide relief and rehabilitation to those who have been affected. The arrival of Rajivji spread like wildfire in all parts of the capital and people flocked around him in hope ultimately, but overwhelmed with despair. In the evening, Rajivji flew back after telling me that we have to go all out to help the affected people and he asked me to be in touch with him veryday. He was to come to Madhya Pradesh on his election tour on the 6th of December and wanted to know whether he should postpone it in view of this calamity. I said that he need not do so since the message might be misinterpreted that we are immobilized as a Government. I am grateful to him that he accepted my advice. I hope, Sir, you will pardon me for taking a little time, but sometimes

time itself loses all relevance. Somebody told me that Mr. Warren Anderson, who was the head of this company, was coming to Bhopal. I was amazed at the audacity of the person, who was directly responsible — because he was aware of what his factory was manufacturing and where it kept all the elements that went into that manufacture - - that he was coming to Bhopal. For what? He could not be coming for sharing our grief, because that is so unlikely for a bada sahib! But at that very moment, when I came to know that he was coming, I made up my mind that as soon as he lands on the soil of Madhya Pradesh, he should be arrested. I did not share my decision with anybody. I did call in the officers concerned and briefed them personally that they have to arrest Mr. Anderson as soon as he steps down from the plane in the morning. I also gave them these orders in writing, which is not done by a Chief Minister, but I did — because I knew of the tremendous pressure that officers are subjected to in such situations — so that they were not bothered about it and the responsibility was mine.

As soon as Mr. Anderson stepped down from the plane, the police, the SP, Mr. Puri, escorted him in a car and told him that he was under custody and they are taking him to his own rest house for detention. He was so surprised when he was told this. He kept on asking, 'Why is the Chief Minister not here to receive me?' Just imagine the kind of arrogance that some of these people have. When the SP could not stop his chatter, he told him, 'Well, this is not a question which I can answer, you better ask it when you meet the Chief Minister yourself.' After Mr. Anderson was safely escorted to his rest house, it is necessary to say so because apart from those visitors who had come to the airport on Mr. Anderson's request, the media and some other people, a large number of affected people whose sons had died, whose daughters had died, mysteriously did not know by that time what was the cause of the deaths. You can imagine the feelings of parents, mothers and fathers. They had assembled outside the gates of the airport. I do not blame them, I cannot condemn them. But, those are the dictates of office which, I think, all those who have held office know; it became my responsibility to see to it that no physical or personal harm came to him. I carried out that duty also with a heavy heart because I

knew, the first opportunity people get to him, they would lynch him from the nearest lamp post.

Today, 26 years later, it is very comfortable to sit and discuss these things.But, Sir, I would like to tell you that it pricks my heart. I then called my Chief Secretary, Mr. Brahma Swaroop, who unfortunately is no longer alive, and sought his advice as to what we should do. He said, 'now that he has arrived and we have decided to arrest him, we should see that whatever needs to be done should be done effectively. It has been just suggested by my colleague opposite that the Union Carbide had taken over the administration of Madhya Pradesh and I was just a figurehead. Well, experiences may be that some people tolerating that also, and clinging on to office. It was not my habit to do that. And the first proof that he had not taken over the administration was that he was arrested as soon as he touched down on the ground of Madhya Pradesh. If he was that powerful, he would have come, toured the State and the factory that he lorded over, and gone away. Rajivji was, at that time, in Harda town of Hoshangabad. I drove straight to that place, met him and told him about the events of the morning, and also the arrest of Mr. Anderson. Rajivji heard me out without any comment, and just said, "Let us go to the next meeting". There was not even a flicker of any kind of sympathy for anyone much less Mr. Anderson. I take the full responsibility for having arrested Mr. Anderson, and even today, I would feel proud to suffer any punishment for this act, if it is considered to be against the interests of the people of Madhya Pradesh.

Sir, being in office certainly brings you some advantages, but not all the while. The Chief Secretary informed me that there have been persistent calls for granting bail to Mr. Anderson from Home Ministry officials in Delhi. I told him, he can do whatever he liked, but the arrest of Mr. Anderson must be duly recorded so that subsequently when we want, we can summon him, to arraign him before the laws of the land. When he was sent back, it is incongruous, even I realize, and I feel that he should not have gone back on a State plane.

I do not want to enlarge upon all these things, to add to the grief and bitterness that this issue has generated, and, I certainly do not want to shift my blame on anybody. Whatever blame is due

to me, I am still prepared to suffer it as an ordinary citizen. Let me tell you, Sir, and through you, to the House and the country that the clamour about my speaking out should now subside. As an ordinary person, I have said what I had to say. Shri Rajivji never uttered a single word to me for the next two days when he was there on tour either in support of Mr. Anderson or trying to mitigate his problem. To blame him of anything is a figment of the imagination of all those who can see nothing concrete or constructive coming through a person of that calibre. I fully endorse the decision of the Government of India to extradite Mr. Warren Anderson and seek full and adequate compensation from him for this tragedy. The recommendations of the GoM are very constructive and useful and I commend all my colleagues who are on the GoM to further sympathy with the sufferings of the people of Bhopal.

****